हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद, शिमला–171002 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2010 से 31.03.2025

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1983 के नियम 26 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद शिमला–2 के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद, शिमला–171002 के लेखों अवधि 04/2010 से 03/2025 तक का अंकेक्षण कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 04/2010 से 03/2025 के दौरान हमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद, शिमला–2 में निम्न अध्यक्ष एवं पंजीयक, नियन्त्रक अधिकारी व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे:–

(i) अध्यक्ष

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	पद रिक्त रहा	अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–63 दिनाँक 20.05.2024 के प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः HP (Homoeo)Audit-1/01-205 दिनाँक 21.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्ष 1992 से परिषद का गठन नहीं किया गया है जिस कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2010 से 31.03.2025 के दौरान अध्यक्ष का पद रिक्त रहा।

(ii) पंजीयक एवं आहरण व संवितरण अधिकारी

क्र0 सं0	नाम व पदनाम	अवधि
1	डॉ0 सुरेन्द्र मैहता, पंजीयक	01.04.2010 से 12.08.2010
2	डॉ0 अनिल पुष्प कुमार, पंजीयक	13.08.2010 से 16.05.2012

3	पद रिक्त रहा	17.05.2012 से 24.06.2016
4	डॉ0 सुरेन्द्र मैहता, पंजीयक	25.06.2012 से 13.06.2016
5	डॉ0 अनिल पुष्प कुमार, पंजीयक	14.06.2016 से 31.12.2017
6	पद रिक्त रहा	01.01.2018 से 18.02.2018
7	डॉ0 राजेश कुमार, पंजीयक	19.02.2018 से 31.05.2024
8	पद रिक्त रहा	01.06.2024 से 29.07.2024
9	डॉ0 आशुतोष भारद्वाज, पंजीयक	30.07.2024 से 31.03.2025

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद, शिमला–171002 के लेखों अवधि 01/04/2010 से 31/03/2025 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	पैरा सं0	राशि लाखों में (₹)
1	पंजीकरण शुल्क/नवीनीकरण शुल्क से प्राप्त आय को रोकड़ बही में दर्ज न करना तथा न ही बैंक खाते में जमा करना।	7.1, 7.2	0.55
2	आय–व्यय का प्राक्कलन अनुमोदित किये बिना परिषद निधि से अनियमित व्यय करना।	9.1	171.15
3	सक्षम अधिकारी से बिलों को पारित किये बिना परिषद निधि से अनियमित व्यय करना।	9.2	2.56
4	कर्मचारियों के वेतन/भत्ते का गलत निर्धारण करने एवं भविष्य निधि में नियमों के प्रतिकूल अधिक अंशदान करने के कारण कर्मचारियों को अधिक भुगतान करना।	10.1 से 10.4	2.93
5	परिषद की अनुशंशा/अनुमोदन के बिना स्टॉफ की पुनः नियुक्ति एवं आउटसोर्सिंग पर अनियमित व्यय करना।	10.6	15.42

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत अनुच्छेदों/पैरों पर की गई कार्रवाई/समीक्षा उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह

भी पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर संस्था द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः लम्बित पैरों के निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्या पद्धति परिषद, शिमला–171002 के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2025 का वर्तमान अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनाँक 11.04.2025 से 28.05.2025 तक हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद कार्यालय शिमला–2 में निष्पादित किया गया। आय व व्यय के विस्तृत अंकेक्षण हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार कुल आय में से ब्याज तथा सहायता अनुदान से आय के पश्चात् शेष आय तथा कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
04.2010 से 03.2011	06/2010	03/2011
04.2011 से 03.2012	01/2012	03/2012
04.2012 से 03.2013	01/2013	03/2013
04.2013 से 03.2014	01/2014	03/2014
04.2014 से 03.2015	06/2014	10/2014
04.2015 से 03.2016	07/2015	05/2015
04.2016 से 03.2017	07/2016	03/2017
04.2017 से 03.2018	07/2017	03/2018
04.2018 से 03.2019	03/2019	03/2019
04.2019 से 03.2020	08/2019	08/2019
04.2020 से 03.2021	03/2021	06/2020
04.2021 से 03.2022	12/2021	03/2022
04.2022 से 03.2023	05/2022	06/2022
04.2023 से 03.2024	04/2023	04/2023
04.2024 से 03.2025	05/2024	08/2024

अस्वीकरण:– "वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना एवं अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा सूचना/अभिलेख के उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद शिमला–2, जिला शिमला हि0प्र0 के अवधि 04/2010 से 03/2025 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹27,000 आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट/2025–69 दिनाँक 28.05.2025 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः **HP(Homoeo)Audit-1/01-210** दिनाँक 02.06.2025 के अन्तर्गत संलग्न चैक संख्याः 312634 दिनाँक 30.05.2025 द्वारा अंकेक्षण शुल्क ₹27,000 को प्रेषित कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट/2025–50 तथा 64 दिनाँक 21.04.2025 व 20.05.2025 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/सूचनानुसार अवधि 04/2010 से 03/2025 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण यथा **परिशिष्ट "1"** अनुसार निम्न प्रकार से था।

Year wise Financial Position of State Council of Homoeopathic System of Medicine (H.P.), Shimla-2 for the period 04-2010 to 03-2025

Financial Year	Opening Balance	Receipt during the Year	GIA Received	Inretest Income	Total	Expenditure during the Year	Closing Balance
2010-11	684273.85	133984.00	150000.00	27670.00	995927.85	389449.00	606478.85
2011-12	606478.85	135097.00	350000.00	18769.00	1110344.85	405682.00	704662.85
2012-13	704662.85	154521.00	0.00	14088.00	873271.85	492984.00	380287.85
2013-14	380287.85	519081.00	200000.00	13470.00	1112838.85	543946.00	568892.85
2014-15	568892.85	209132.00	800000.00	24715.00	1602739.85	617176.00	985563.85
2015-16	985563.85	280085.00	500000.00	25667.00	1791315.85	686955.00	1104360.85
2016-17	1104360.85	645274.00	650000.00	34972.00	2434606.85	802262.00	1632344.85
2017-18	1632344.85	377626.00	650000.00	52169.00	2712139.85	887478.00	1824661.85

2018-19	1824661.85	659155.00	0.00	57134.00	2540950.85	996373.00	1544577.85
2019-20	1544577.85	1242022.00	750000.00	82431.00	3619030.85	1075314.00	2543716.85
2020-21	2543716.85	812412.00	850000.00	92504.00	4298632.85	1008584.00	3290048.85
2021-22	3290048.85	396677.00	1806000.00	110293.00	5603018.85	1065966.00	4537052.85
2022-23	4537052.85	1421720.00	993000.00	129378.00	7081150.85	1618581.00	5462569.85
2023-24	5462569.85	1009066.00	993000.00	104422.00	7569057.85	3342806.00	4226251.85
2024-25	4226251.85	3252895.00	993000.00	99405.00	8571551.85	3181984.00	5389567.85

5 बैंक समाधान विवरणी

परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "2"** पर प्रस्तुत सूचनानुसार रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक/बैंक प्रमाण पत्र अनुसार दिनाँक 31.03.2025 को हि0प्र राज्य सहकारी बैंक कसुम्पटी शिमला के बचत बैंक खाते में अन्त शेष ₹2809313.85 था जोकि सावधि जमा ₹2500000.00 सहित ₹5309313.85 था। इस प्रकार रोकड़ बही व बैंक पास बुक के शेष में कोई भी अन्तर नहीं था, जिसका संक्षिप्त विवरण प्रकार से था।

Bank reconciliation Statement of HP State Council of Homoeopathic System of Medicine, as on 31-03-2025					
	Balance as per Cash Book as on 01-03-2025				**5389567.85**
Add	Direct Deposit in Bank dt. 08-01-2024				11.00
Add	Unidentified credit in Bank Account dated 03-02-2017				5500.00
Less	Less amount deposited at Bank as per Para:-7.2 and Annexure -4				-46290.00
Less	Cheque deposited but cleared on 10-04-2025 (Detail is as under)				-39475.00
Sr. No.	**Date of income entered in cash book**	**CBP**	**Amount**	**Cleared on**	
1	19-02-2025	110	3350.00	10-04-2025	
2	24-02-2025	111	8375.00	10-04-2025	
3	27-02-2025	11	10050.00	10-04-2025	
4	05-03-2025	112	1775.00	10-04-2025	
5	11-03-2025	112	3550.00	10-04-2025	
6	11-03-2025	112	1800.00	**(Not cleared till 20-05-2025).**	
7	13-03-2025	113	5975.00	10-04-2025	
8	24-03-2025	113	4600.00	10-04-2025	
Total			**39475.00**		
Total after addition and subtraction					**5309313.85**
Balance as per Bank Statement/ certificate as on 31-03-2025 Account No. (HP State Co-Operative Bank Kasumpti Shimla-9) 4170102118					**2809313.85**
Add:	FDR as on 31-03-2015 (As per cash book page - 101 Dated 04-12-2024)				2500000.00
Total Balance in bank account including FDR					**5309313.85**
Difference after addition and subtraction					**0.00**

6 सावधि जमा निवेश

6.1 सावधि जमा रजिस्टर का संधारण नियमानुसार न करना और न ही सावधि जमा प्रमाण पत्रों को संरक्षित करना।

परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा सावधि जमा में निवेश की गई राशि के सम्बन्ध में नियमानुसार रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है और न ही सावधि जमा प्रमाण पत्रों को संरक्षित किया गया था, जबकि संस्था द्वारा समय–समय पर लाखों की राशि को सावधि जमा में निवेश किया गया था जिस कारण अवधि 01.04.2010 से 03.12.2024 के दौरान सावधि जमा की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज की जॉच नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/ लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सावधि जमा रजिस्टर का संधारण नियमानुसार न करने और न ही सावधि जमा प्रमाण पत्रों को संरक्षित करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अवधि 01.04.2010 से 03.12.2024 के दौरान सावधि जमा के प्रमाण पत्रों को उचित स्त्रोत से प्राप्त कर अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य के लिये परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित रजिस्टर का नियमानुसार संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 ₹28.09 लाख को सावधि जमा में निवेश न करके बचत बैंक खाते में निषप्रयोज्य रखनाः–

परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "2"** पर प्रस्तुत सूचना अनुसार रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक/बैंक प्रमाण पत्र अनुसार दिनाँक 31.03.2025 को हि0प्र राज्य सहकारी बैंक कसुम्पटी शिमला के बचत बैंक खाते में अन्त शेष ₹2809313.85 था जोकि सावधि जमा ₹2500000.00 सहित ₹5309313.85 था जिससे यह भी स्पष्ट है कि दिनाँक 31.03.2025 को बचत खाते में ₹2809313.85 की बहुत बडी राशि को निष्प्रयोज्य रखा गया था जबकि परिषद का वार्षिक औसत व्यय लगभग 10 से 12 लाख था। केवल वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में व्यय क्रमशः 32 से 33 लाख था जिसमें वर्ष 2023–24 को श्री पवन कुमार शर्मा की सेवानिवृति पर लगभग 27 लाख तथा 2024–25 में सावधि जमा में निवेश की गई राशि 25 लाख सम्मिल्लित थी। उक्त से स्पष्ट है कि परिषद निधि में लगभग 16 से 18 लाख को निष्प्रयोज्य रखा गया था तथा यदि इस

राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाता तो ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय को अर्जित किया जा सकता था परन्तु संस्थास्तर पर अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण संस्था को ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय की निरन्तर हानि हो रही थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–70 दिनाँक 28.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके व संस्था की वित्तीय स्थिति को सुदृढ किया जा सके।

7 रोकड बही

7.1 रजिस्ट्रेशन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क से प्राप्त आय में से ₹0.09 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करना तथा न ही बैंक खाते में जमा करना।

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 व हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 3 अनुसार प्राप्त रोकड, चैक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के बैंक खाते में जमा करवाया जाना तथा रोकड़ बही को नियमित रूप से लेखांकित करना, बंद करना, जोड़ की पड़ताल करना, सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करना व रोकड बही का नियमानुसार मिलान किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रकरणों में पाया गया कि संस्था द्वारा यथा **परिशिष्ट–"4"** अनुसार रजिस्ट्रेशन/ नवीनीकरण शुल्क से प्राप्त आय ₹8885 को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था और न ही बैंक खाते में जमा किया गया था जोकि संस्थास्तर पर रोकड के दुर्विनियोजन को दर्शाता है एवं नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से थाः–

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2								
Statement of less amount entered in cash book and less deposit in Bank Account.								
Sr. No.	Receipt No.	Registration/ Renewal fee	Date	Amount as per receipt	Amount entered in Cash Book	CBP	Difference	Remarks
1	4288	Sh. Sham Lal Sharma	08-04-2010	325.00	130.00	98	195.00	Less amount ₹2885 entered in Cash Book
2	..000202	Sandip Chaudhary	12-07-2011	160.00	0.00	133	160.00	
3	..000864	Sh. Sidharth Sani	14-05-2012	1800.00	300.00	164	1500.00	

4	..002627	Sh. Vijay Sareen	06-06-2016	1000.00	0.00	282	1000.00	
5	..003353	Sh. Nasir Mohammad	05-02-2018	530.00	500.00	329	30.00	
6	..003681	Sh. Harleen Panpher	02-07-2019	5000.00	0.00	364	5000.00	Amount of receipts ₹6000 was shown cancelled but issuing part not retained.
7	..003843	Sh. Pian Chand	04-01-2020	1000.00	0.00	373	1000.00	
8	..004433	Blank counter folio	08-03-2021	0.00	0.00	413	0.00	
Total less amount entered in cash book							**8885.00**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि ₹2885 की वसूली श्री पवन कुमार शर्मा से रसीद संख्याः 000336 दिनॉक 27.05.2025 के अन्तर्गत कर दी गई है तथा शेष राशि की उचित स्त्रोत से वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वूसली हेतु शेष राशि को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 रोकड़ बही में दर्ज रजिस्ट्रशन/नवीनीकरण शुल्क ईत्यादि से आय में से ₹0.46 लाख को बैंक खाते में जमा न करना।

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 व हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 3 अनुसार प्राप्त रोकड, चैक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के बैंक खाते में जमा करवाया जाना तथा रोकड़ बही को नियमित रूप से लेखांकित करना, बंद करना, जोड़ की पड़ताल करना, सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करना व रोकड बही का नियमानुसार मिलान किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रकरणों में पाया गया कि संस्था द्वारा यथा **परिशिष्ट–"5"** अनुसार रोकड बही में दर्ज रजिस्ट्रेशन/नीवीनीकरण शुल्क से प्राप्त आय ₹46290 को बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था जोकि संस्थास्तर पर रोकड के दुर्विनियोजन को दर्शाता है तथा नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से थाः–

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2						
Statement showing the detail of less amount deposited in Bank Account during the audit period 04-2010 to 03-2025						
Sr. No.	**Receipt No.**	**CBP**	**Date of receipt**	**Amount entered in Cash Book**	**Amount Deposited at Bank**	**Less Amount Deposited at bank**
1	918	170	02-08-2012	520.00	0.00	520.00
2	1643	206	07-09-2013	500.00	0.00	500.00

3	2184	230	04-04-2014	3000.00	2500.00	500.00
4	2333	242	16-08-2014	3000.00	2500.00	500.00
5	2334	242	16-08-2014	500.00	0.00	500.00
6	2842	298	03-01-2017	3500.00	3000.00	500.00
7	2843	298	03-01-2017	3500.00	3000.00	500.00
8	2844	298	03-01-2017	3500.00	3000.00	500.00
9	..003323	325	11-12-2017	100.00	0.00	100.00
10	..003725	370	09-10-2019	2000.00	0.00	2000.00
11	..003878	378	04-01-2020	2500.00	500.00	2000.00
12	4294 to 4301	406	02-12-2020	17500.00	16000.00	1500.00
13	4458 to 4470	2	28-04-2021	29200.00	29000.00	200.00
14	4513	8	24-09-2021	6100.00	0.00	6100.00
15	4658 to 4676	24	15-06-2022	54600.00	32655.00	21945.00
16	271	93	16-09-2024	500.00	0.00	500.00
18	279	100	23-11-2024	1700.00	0.00	1700.00
19	282	102	05-12-2024	500.00	0.00	500.00
20	283-284	102	16-12-2024	2500.00	0.00	2500.00
21	285 to 287	103	18-12-2024	8500.00	7675.00	825.00
22	288	104	23-12-2024	1700.00	0.00	1700.00
23	291	104	30-12-2024	700.00	0.00	700.00
Total less amount deposted in Bank Account						**46290.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि ₹21300 (₹6100, ₹2000, ₹13200) का क्रेडिट बैंक द्वारा क्रमशः 05.05.2025 व 19.05.2025 को जमा कर दिया गया था तथा ₹24990 की वसूली श्री पवन कुमार शर्मा से रसीद संख्याः 000336 दिनॉक 27.05.2025 के अन्तर्गत कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर दी गई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की वितीय अनियमितताओं से पूर्णतया परिहार किया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्थास्तर पर उचित जॉच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण शुल्क से प्राप्त आय ₹0.59 लाख को बैंक खाते में जमा किये बिना ही व्यय करना :–

अंकेक्षण में पाया गया कि यथा **परिशिष्ट–"6"** अनुसार परिषद द्वारा रजिस्ट्रेशन/नीवीनीकरण शुल्क ईत्यादि से प्राप्त आय ₹58910.00 को बैंक खाते में जमा किये बिना ही व्यय किया गया था, जोकि

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्राप्त आय/रोकड को बैंक खाते में जमा करवाये जाने के पश्चात् ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

7.4 रोकड़ बही में ब्याज से प्राप्त आय को नियमानुसार लेखांकित न करना तथा गलत गणना के कारण आगामी तिथि को गलत शेष अग्रेषित करना

अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा रोकड बही का बैंक पास बुक से माह वार मिलान नहीं किया गया था और न ही बैंक द्वारा प्रदत ब्याज को नियमानुसार रोकड बही में दर्ज किया गया था जिस कारण रोकड बही व बैंक पास बुक में प्रत्येक माह के अन्त में अन्तर पाया गया। इसके अतिरिक्त रोकड बही के गलत दैनिक शेष को निकाला गया था जिस कारण आगामी तिथि को गलत प्रारम्भिक शेष अग्रेषित किये गये थे जोकि हि0प्र0 वितीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 के प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है यद्यपि अंकेक्षण के दौरान आवश्यक प्रविष्टियों को दर्ज कर दिया गया था एवं तदानुसार अन्त शेष की गणना एवं बैंक समाधान विवरणी को तैयार कर दिया गया था। अंकेक्षण में पाये गये इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Date	Cash Book Page	Opening Balance	Receipts	Total	Expenditure	Actual Balance	Balance Calculated	Differene	Remarks
1	12-05-2022	22	4421876.85	6000.00	4427876.85	0	4427876.9	4127876.9	300000.00	Wrong/Less balance forwarded
2	Interest credited by bank but not entered in cash Book									
				1	31-03-2010	9135.00				
				2	29-09-2012	8649.00				
				3	31-03-2016	11226.00				
				4	30-06-2024	30339.00				
				5	31-12-2024	25020.00				
				6	31-03-2025	13048.00				
					Total	**97417.00**	Less Intt. Entered on Cash Book.			

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

8 सहायता अनुदान

8.1 दिनाँक 17.01.2025 को प्राप्त सहायता अनुदान ₹9.93 लाख का व्यय हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 01.04.2010 से 31.03.2025 के दौरान परिषद को यथा **परिशिष्ट "7"** अनुसार ₹9685000.00 की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से कम संख्याः 1 से 16 के अन्तर्गत वर्णित सहायता अनुदान राशि को परिषद द्वारा व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को निदेशक, आयुर्वेदा/आयुष को प्रेषित कर दिया गया था केवल कम संख्याः 17 के अन्तर्गत दिनाँक 17.01.2025 को प्राप्त ₹993000.00 की सहायता अनुदान राशि जोकि वर्ष 2024–25 के लिये प्राप्त हुई थी परिषद स्तर पर व्यय हेतु शेष थी। जिस कारण उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया जा सका। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–70 दिनाँक 28.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा अंकेक्षण के दौरान आश्वस्त किया गया कि अनुदान राशि को निर्धारित उदेश्य हेतु व्यय कर दिया जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित सहायतानुदान को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाये अन्यथा अनुपयुक्त सहायतानुदान को सम्बन्धित संस्था को प्रत्यर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 आय–व्यय प्राक्कलन

9.1 आय–व्यय का प्राक्कलन अनुमोदित किये बिना परिषद निधि से ₹171.15 लाख का अनियमित व्यय करना

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1983 के नियम 28 (उप–नियम, 1 से 3) में प्रावधित है कि परिषद का आगामी वर्ष का आय व व्यय का प्राक्कलन प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह अथवा अध्यक्ष के विवेकानुसार यथोचित तिथि को तैयार किया जाना अपेक्षित है जोकि अप्रैल माह में परिषद को

अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है एवं तदानुसार परिषद द्वारा पारित किया जायेगा तथा नियम 29 में अनुपूरक प्राक्कलन पारित करने एवं कोई भी व्यय अनुमोदित/स्वीकृत प्राक्कलन के न करने बारे प्रावधित किया गया है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा न तो नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2024–25 का प्राक्कलन तैयार किया गया था और न ही परिषद से पारित करवाया गया था। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–63 दिनाँक 20.05.2024 के प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः HP(Homoeo)Audit-1/01-205 दिनाँक 21.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्ष 1992 से परिषद का गठन नहीं किया गया है जिस कारण आय–व्यय प्राक्कलन को नियमानुसार अनुमोदित नहीं किया जा सका जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2024–25 के आय एवं व्यय को यथा **परिशिष्ट "8"** अनुसार बजट के अनुसार केन्द्रित नहीं किया गया था तथा परिषद द्वारा नियमों के प्रतिकूल आय–व्यय के प्राक्कलन के अनुमोदन के बिना ₹17115540.00 का व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Year	Income		Expenditure	
	Actual Receipt during the Year	Approved Estimate of Income as per Rule 28	Actual Expenditure	Approved/Sanctioned Estimate of Exp. as per Rule 28
2010-11	311654.00	0.00	389449.00	0.00
2011-12	503866.00	0.00	405682.00	0.00
2012-13	168609.00	0.00	492984.00	0.00
2013-14	732551.00	0.00	543946.00	0.00
2014-15	1033847.00	0.00	617176.00	0.00
2015-16	805752.00	0.00	686955.00	0.00
2016-17	1330246.00	0.00	802262.00	0.00
2017-18	1079795.00	0.00	887478.00	0.00
2018-19	716289.00	0.00	996373.00	0.00
2019-20	2074453.00	0.00	1075314.00	0.00
2020-21	1754916.00	0.00	1008584.00	0.00
2021-22	2312970.00	0.00	1065966.00	0.00
2022-23	2544098.00	0.00	1618581.00	0.00
2023-24	2106488.00	0.00	3342806.00	0.00
2024-25	4345300.00	0.00	3181984.00	0.00
Total	**21820834.00**	0.00	**17115540.00**	0.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर

में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा प्रकरण संस्थाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार बजट के आधार पर आय–व्यय को सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है ताकि बजट के अनुसार आय–व्यय को नियंत्रित किया जा सके।

9.2 सक्षम अधिकारी से बिलों को पारित किये बिना परिषद निधि से ₹2.56 लाख का व्यय करना

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1983 के नियम 30 (उप–नियम ए से बी) में प्रावधित है कि पंजीयक द्वारा स्टॉफ/कर्मचारी के वेतन बिल बिना वितीय सीमा के व ₹1000.00 तक के अन्य व्यय बिल पारित किये जाने अपेक्षित थे तथा ₹1000.00 से अधिक के अन्य व्यय बिलों को परिषद के अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि समस्त व्यय बिलों को पंजीयक द्वारा ही पारित किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–63 दिनाँक 20.05.2024 के प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः HP(Homoeo)Audit-1/01-205 दिनाँक 21.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्ष 1992 से परिषद का गठन नहीं किया गया है जिस कारण पंजीयक द्वारा ही बिलों को पारित किया गया है जबकि नियमों में इस सन्दर्भ में कोई प्रावधान नहीं था। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2024–25 के दौरान नियमों के प्रतिकूल संस्थास्तर पर ही अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना ₹256200.00 के व्यय बिलों को पारित कर तदानुसार भुगतान किया गया था, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

Expenditure detalis for selected months for the Audited periods for the periods 04/2010 to 03/25					
Sr No	**Particulars**	**Date of Entry as per cash book**	**Voucher No/Date**	**Amount**	**Cash book page**
1	Paid to Postmaster P. StampS	12.03.2012	4/15.04.2012	3500	159
2	Purchase of postal stamps	07.03.2013	06/8.3.2013	5000	190
3	Paid to M/S Xerox service	06.03.2014	8/6.03.2014	1200	226
4	Paid to M/S Image Maker	15.10.2014	05/15.10.2014	5100	244

5	Paid Director Sarswati.dot.Com	20.08.2019	03/20.08.2019	118000	366
6	Paid to M/S Vigypna	02.03.2022	07/02.03.2022	3600	17
7	Paid to M/S Vigypna	01.06.2022	03/01.06.2022	1800	22
8	Paid Director Sarswati.dot.Com	01.06.2022	03/01.06.2022	118000	22
			Total	**256200**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से परिषद निधि की प्रतिपूर्ति को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 स्थापना व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ

कर्मचारियों के वेतन/भत्ते का गलत निर्धारण करने एवं भविष्य निधि में नियमों के प्रतिकूल अधिक अंशदान करने के कारण परिषद निधि से ₹2.93 लाख का अधिक भुगतान करना :–

अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2010 से 03/2025 के दौरान अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय–समय पर देय संशोधित वेतनमान तथा ए.सी.पी.एस. 4–9–14 के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण करने के कारण परिषद निधि से ₹292537.35 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अवधि में किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से था।

10.1 "सुनिश्चित जिविका प्रगतिशील योजना {ए.सी.पी.एस. 08–16–24–32 तथा 04–09–14} के अन्तर्गत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (Increment) प्रदान करने के कारण ₹1.02 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

परिषद द्वारा प्रस्तुत कर्मचारियों की सेवापंजिकाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि श्री पवन कुमार शर्मा (वरिष्ठ सहायक, सेवानिवृत) को हि0प्र0 सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन(पीआर)बी(7)51/98 दिनाँक 15.12.1998 तथा फिन(पीआर)बी (7)59/2010 दिनाँक 09.08.2012 के अन्तर्गत देय "सुनिश्चित जिविका प्रगतिशील योजना {ए.सी.पी.एस. 08–16–24–32 तथा 04–09–14} के अन्तर्गत यथा

परिशिष्ट–"9" अनुसार एक ही पद पर 9, 14 वर्ष के सेवाकाल उपरान्त दिनाँक 27.08.2009 तथा 01.04.2010 को वेतन वृद्धि सहित उच्च ग्रेड को प्रदान किया गया था जबकि दिनाँक 27.08.2009 से पूर्व उक्त कर्मचारी को ए.सी.पी.एस. 08–16–24–32 के अन्तर्गत दो वित्तीय लाभ प्रदान किये जा चुके थे जिस कारण 27.08.2009 को दो उच्च ग्रेड पे तथा एक ही वेतन वृद्धि को प्रदान किया जाना अपेक्षित था जबकि परिषद द्वारा ए.सी.पी.एस. 04–09–14 के अन्तर्गत दिनाँक 27.08.2009 तथा 01.04.2010 को दो उच्च ग्रेड पे तथा दो वेतन वृद्धि को प्रदान किया गया था जिस कारण दिनाँक 01.04.2010 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि **(Increment)** को प्रदान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अधिक भुगतान को ईंगित करता है। उक्त कारणों से गलत/अधिक वेतन निर्धारण के कारण श्री पवन कुमार शर्मा (वरिष्ठ सहायक) को वेतन के रूप में सेवाकाल के दौरान वेतन ₹101764.35 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement of excess payment of Salary of Sh. Pawan Kumar, Sr. Asstt.

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2

Sh. Pawan Kumar Sharma, Clerk		Bate of Birth :08-04-1965			Date of Joining: 1-4-1988			Date of Ret: 30-04-2023		
	Pay to be consider for Pay revision as per audit				Pay fixation as per Service Book			Notional pay due to ACPS w.e.f. 27-8-09	Excess Payment of Basic Pay (Financial)	Remarks
	Date	Pay in the PB	GP	Total	Pay in the PB	GP	Total			
Pay as on	31-12-2005	6000.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00			
Pay revision	01-01-2006	11160.00	2800.00	13960.00	11160.00	3000.00	14160.00		200.00	Note: ACPS of 9th and 14 Year were granted Notionally up to 09-08-2012
Annual Inc.	01-04-2006	11580.00	2800.00	14380.00	11590.00	3000.00	14590.00		210.00	
DA	01-07-2006	11580.00	2800.00	14380.00	11590.00	3000.00	14590.00		210.00	
DA	01-01-2007	11580.00	2800.00	14380.00	11590.00	3000.00	14590.00		210.00	
Annual Inc.	01-04-2007	12020.00	2800.00	14820.00	12030.00	3000.00	15030.00		210.00	
DA	01-07-2007	12020.00	2800.00	14820.00	12030.00	3000.00	15030.00		210.00	The benefit of Ist ACPS under ACPS 8-16-24-32, elapsed on 01-04-1996 while
DA	01-01-2008	12020.00	2800.00	14820.00	12030.00	3000.00	15030.00		210.00	
Annual Inc.	01-04-2008	12470.00	2800.00	15270.00	12480.00	3000.00	15480.00		210.00	
DA	01-07-2008	12470.00	2800.00	15270.00	12480.00	3000.00	15480.00		210.00	
DA	01-01-2009	12470.00	2800.00	15270.00	12480.00	3000.00	15480.00		210.00	
Annual Inc.	01-04-2009	12930.00	2800.00	15730.00	12950.00	3000.00	15950.00		220.00	
DA	01-07-2009	12930.00	3000.00	15930.00	12950.00	3000.00	15950.00		20.00	

	01-08-2009	12930.00	3000.00	15930.00	12950.00	3000.00	15950.00		20.00	granting the placement to the Jr. Asstt. On 01-04-1996 by granting Scale 4400-7000. Similarly, ACPS under 16 year granted on 01-04-2004. Thereafter, again the benefit of 2 ACPS under 4-9-14 was granted on 27-08-2009 as a two higher scale with the increments. Hence, additional increment was granted on 01-04-2010 which was not jusfitied.
ACPS 9, 14 Years	27-08-2009	13410.00	3200.00	16610.00	13430.00	3200.00	16630.00	20.00	20.00	
	01-09-2009	13410.00	3200.00	16610.00	13430.00	3200.00	16630.00	20.00	20.00	
DA	01-01-2010	13410.00	3200.00	16610.00	13430.00	3200.00	16630.00	20.00	20.00	
Annual Inc.	01-04-2010	13910.00	3200.00	17110.00	14450.00	3600.00	18050.00	940.00	20.00	
DA	01-07-2010	13910.00	3200.00	17110.00	14450.00	3600.00	18050.00	940.00	20.00	
DA	01-01-2011	13910.00	3200.00	17110.00	14450.00	3600.00	18050.00	940.00	20.00	
Annual Inc.	01-04-2011	14430.00	3200.00	17630.00	15000.00	3200.00	18200.00	570.00	30.00	
DA	01-07-2011	14430.00	3200.00	17630.00	15000.00	3200.00	18200.00	570.00	30.00	
DA	01-01-2012	14430.00	3200.00	17630.00	15000.00	3200.00	18200.00	570.00	30.00	
Annual Inc.	01-04-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00	590.00	30.00	
DA	01-07-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00	590.00	30.00	
	01-08-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00	590.00	30.00	
	09-08-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00	590.00	590.00	
	01-09-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00		590.00	
DA	01-01-2013	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00		590.00	
Annual Inc.	01-04-2013	15550.00	3200.00	18750.00	16120.00	3200.00	19320.00		570.00	
DA	01-07-2013	15550.00	3200.00	18750.00	16120.00	3200.00	19320.00		570.00	
DA	01-01-2014	15550.00	3200.00	18750.00	16120.00	3200.00	19320.00		570.00	
Annual Inc.	01-04-2014	16120.00	3200.00	19320.00	16700.00	3200.00	19900.00		580.00	
DA	01-07-2014	16120.00	3200.00	19320.00	16700.00	3200.00	19900.00		580.00	
DA	01-01-2015	16120.00	3800.00	19920.00	16700.00	3800.00	20500.00		580.00	
Annual Inc.	01-04-2015	17300.00	3800.00	21100.00	17920.00	3800.00	21720.00		620.00	
DA	01-07-2015	17300.00	3800.00	21100.00	17920.00	3800.00	**21720.00**		620.00	
Pay as on	**31-12-2015**	17300.00	3800.00	**21100.00**			**SB, P-41**			

Pay Revision 03-01-2022 w.e.f. 1-1-2016

Pay as on	**31-12-2015**	21100.00	**Note:- As per ACPS 4-9-2014, Notification No. Fin(PR) B (7)-59/2010 Dated 09-08-2012 the Re-Pay fixation was notionally from 27-08-2009 and financial benefits from 09-08-2012, Hence excess payment of salary since 27-08-2009 to 09-08-2012 have been taken of the excess fixation of salary prior to the 27-08-2009.**
Factor 2.59	**259%**	54649.00	
	Total	**54649.00**	

Pay as on	31-12-2015	21100.00	Pay level & Cell	Pay Due	Pay Fixed	Excess payment of BP	Service Book Page
Pay as per pay structure as on 01-01-2016		**55000.00**	**Pay level & Cell**	**Pay Due**	**Pay Fixed**	**Excess payment of BP**	**Service Book Page**
Pay as on		01-01-2016	Level 11 Cell 13	55000.00	56700.00	1700.00	SB, P 40-41
Annual Incre.		01-04-2016	Level 11 Cell 14	56700.00	58400.00	1700.00	SB, P 40-41
Annual Incre.		01-04-2017	Level 11 Cell 15	58400.00	60200.00	1800.00	SB, P 40-41
Annual Incre.		01-04-2018	Level 11 Cell 16	60200.00	62000.00	1800.00	SB, P 40-41
Annual Incre.		01-04-2019	Level 11 Cell 17	62000.00	63900.00	1900.00	SB, P 40-41
Annual Incre.		01-04-2020	Level 11 Cell 18	63900.00	65800.00	1900.00	SB, P 40-41
Annual Incre.		01-04-2021	Level 11 Cell 19	63900.00	67800.00	3900.00	SB, P 40-41
Pay Revision Financially		01-01-2022	Level 11 Cell 20	65800.00	67800.00	2000.00	SB P-42-43
Annual Incre.		01-04-2022	Level 11 Cell 21	67800.00	69800.00	2000.00	SB P-42-43
Annual Incre.		01-04-2023	Level 11 Cell 22	69800.00	71900.00	2100.00	SB P-42-43

उक्त तथ्यों अनुसार सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन निर्धारण के कारण श्री पवन कुमार शर्मा (वरिष्ठ सहायक) को सेवानिवृति पर भी वित्तीय लाभों अर्थात ग्रेच्यूटी एवं अनार्जित अवकाश के भुगतान **(Excess payment of Gratuity and Leave Encashment)** की एवज में यथा **परिशिष्ट–"10"** अनुसार **₹17411.00** का अधिक भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था, जिसका विवरण विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement of excess payment of Salary of Sh. Pawan Kumar, Sr. Asstt.					
HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2					
Sh. Pawan Kumar Sharma, Clerk	**Bate of Birth :08-04-1965**		**Date of Joining: 1-4-1988**	**Date of Ret: 30-04-2023**	
Detail of excess payment of Leave Encashment			**Detail of excess payment of Leave Encashment**		
Particular	**Salary/ Amount**	**Amount**	**Particular**	**Salary/ Amount**	**Amount**
Last Pay Dran as per Service Book Page-42-43	**Basic Pay**	71900.00	**Last Pay Drawn as per Service Book Page-42-43**	**Basic Pay**	71900.00
DA	**31%**	22289.00	**DA**	**31%**	22289.00
Total Salary for Leave Encashment		**94189.00**	**Total Salary for Leave Encashment**		**94189.00**
Leave Encashment Paid	**94189x300/30**	**941890.00**	**Gratuity Paid**	**94189x66/4**	**1554119.00**
			Length of Service 35 years 9 months		

Last Pay Due as per Audit (Due to undue benefits of ACPS under 4-9-2014 was granted on 27-08-2009 and 01-04-2010).	**Basic Pay**	69800.00	**Last Pay Due as per Audit (Due to undue benefits of ACPS under 4-9-2014 was granted on 27-08-2009 and 01-04-2010).**	**Basic Pay**	69800.0
DA	**34%**	23732.00	**DA**	**34%**	23732.0
Total Salary for Leave Encashment		**93532.00**	**Total Salary for Leave Encashment**		**93532.0**
Leave Encashment Due	**91438x300/30**	**935320.00**	**Gratuity Due**	**91438x66/4**	**1543278.0**
(A) Excess Amount Paid		**6570.00**	**(B) Excess Amount Paid**		**10841.0**
Total amount of excess payment of leave encashment and gratuity (A+B)					**17411.0**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–68 दिनाँक 27.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संस्थास्तर पर उचित जॉच–पड़ताल उपरान्त सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2 सेवानिवृति से पूर्व अधिक वेतन निर्धारण के कारण पुनः नियुक्ति पर सेवानिवृति से पूर्व आहरित अधिक मूल वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹0.71 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि श्री पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक दिनाँक 30.04.2023 को परिषद से सेवानिवृत हुये थे तथा दिनाँक 08.08.2023 **(A/N)** से पुनः वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की गई थी। उक्त कर्मचारी की पुनः नियुक्ति पर सेवानिवृति से पूर्व आहरित अधिक अन्तिम मूल वेतन के आधार पर वेतन का निर्धारण करने के फलस्वरूप अवधि 09.08.2023 से 31.05.2025 तक यथा **परिशिष्ट–"11"** अनुसार ₹71141.00 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका संक्षिप्त विवरण विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement of excess payment of Salary of Sh. Pawan Kumar, Sr. Asstt. (Retd.)			
HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2			
Sh. Pawan Kumar Sharma, Clerk	**Bate of Birth :08-04-1965**		
Date of Joining: 1-4-1988	**Date of Ret: 30-04-2023**		
Detail of excess payment of salary on Re-employment	**Date of Re-employment: 08-08-2023 (A/N)**		
Particular		**Amount**	**Remarks**

Last Pay Drawn as per Service Book Page-42-43	**Last pay drawan**	71900.00	Dwaral of pay as per the Para 4 (a) of letter No. Fin (C)B(7),10/84 dated 01-12-1988.
Salary Drawn for 8-2023, Pay Bill Reg. P-46	**Salary for 23 days**	57528.00	
Salary for 9-23 to 11-23, Pay Bill Reg. P-46 to 47	**71900x3**	215700.00	
Salary for 12-2023 to 05-2025, Pay Bill Reg. P-47 to 52	**40% BP**	517680.00	Drawal of fixed amount of emoluments not exceeding 40% of the basic pay last drawn as per letter No. Fin (C)-B(7)-13/2009 dated 10-11-2023
Total salary paid in lieu of Re-employment		**862808.00**	
Last Pay to be drawn as per Audit	**Last pay to be drawn**	**69800.00**	
Salary for 8-2023	**Salary for 23 days**	51787.00	
Salary for 9-23 to 10-23	**69800x2**	139600.00	
Salary for 11-2023 to 05-2025	**40% BP**	530480.00	
Total salary due in lieu of Re-employment		**791667.00**	
Excess payment of salary from 09-08-2023 to 31-05-2025		**71141.00**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–68 दिनाँक 27.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संस्थास्तर पर उचित जॉच–पड़ताल उपरान्त सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अधिक भुगतान की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1983 के नियम 37 (As per Sub Rule 2 of Annexure-C and Rule 37) के प्रतिकूल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते व अन्तरिम राहत सहित परिषद अंशदान/शेयर की गणना करने के कारण भविष्य निधि में ₹1.02 लाख का अधिक अंशदान करना

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1983 के नियम 37 के एपैन्डिक्स–सी के अन्तर्गत विहित भविष्य निधि नियम में प्रावधित है कि परिषद शेयर के रूप में प्रतिमाह 8 पैसा प्रति रूपये की दर से अंशदान किया जायेगा (Provident Fund to be deducted as Council Share "As per Sub Rule 2 of Appendix-C of Pvovident Fund Rule and Rule 37 of Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioner (General) Rules 1983, Council to subscribe at the rate of 0.08 paisa in the rupee on his salary to a provident fund of which a conjoint account will be opened at the Post Office

Saving Bank in the official name of the Chairman of the Council)". तथा भविष्य निधि अंशदान/शेयर की गणना के लिये मूल वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ता शामिल नहीं किया जाना अपेक्षित था (As per Note below sub-rule-16 of Appendix-C "For the purpose of this rule pay means the basis pay and does not include allowances of any kind"). परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "12"** अनुसार नियमों के प्रतिकूल महंगाई भत्ते व अन्तरिम राहत (यथादेय) सहित परिषद शेयर की गणना की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जोकि परिषद शेयर **₹102221.00** के रूप में किये गये अधिक अंशदान को ईंगित करता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–68 दिनाँक 27.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि श्री पवन कुमार शर्मा से रसीद संख्याः 000337 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत **₹1,00,000.00** की वसूली कर दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में दौरान बैंक पास बुक में दर्ज प्रविष्टि दिनाँक 28.05.2025 से कर दी गई थी। अतः अधिक भुगतान की संस्थास्तर पर उचित जॉच उपरान्त शेष राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 भविष्य निधि में अंशदान से सम्बन्धित रोकड बही व खाताबही का संधारण न करना तथा बैंक पास बुक को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा भविष्य निधि में किये गये कर्मचारी एवं परिषद शेयर के सम्बन्ध में रोकड बही/खाताबही का संधारण नहीं किया गया था जिस कारण अंकेक्षण के दौरान कर्मचारी व परिषद अंशदान/ शेयर की जॉच वेतन रजिस्टर के अनुसार की गई थी। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा बैंक पास बुक/बैंक प्रमाण पत्र को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिस कारण भविष्य निधि की बैंक पास बुक में कर्मचारी एवं परिषद अंशदान/शेयर के जमा अथवा निकासी की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जोकि हि0प्र0 वितीय नियमावली 2009 के नियम 26 के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–50 व 63 दिनाँक 21.04.2025 तथा 20.05.2025 के प्रत्युतर में परिषद द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भविष्य निधि में अंशदान से सम्बन्धित रोकड बही, खाताबही तथा बैंक पास बुक को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ

संस्थास्तर भविष्य निधि से सम्बन्धित अभिलेख की उचित जॉच–पडताल हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में उचित स्त्रोत से राशि की वूसली को सुनिश्चित किया जा सके तथा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

10.5 परिषद की अनुशंशा/अनुमोदन के बिना स्टॉफ की पुनः नियुक्ति एवं आउटसोर्सिंग पर ₹15.42 लाख का अनियमित व्यय करना

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के खण्ड–14 (5) (As per section 14 (5) of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979) में प्रावधित है कि परिषद द्वारा कार्य निर्वहन हेतु आवश्यक स्टॉफ/कर्मचारी को नियुक्त किया जायेगा तथा नियुक्त किये जाने वाले स्टॉफ/कर्मचारियों की संख्या, पदनाम व वेतनमान हेतु सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1983 के नियम 33 में भी प्रावधित है कि परिषद द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों की अदायगी परिषद द्वारा आवश्यक स्वीकृति उपरान्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से की जायेगी (Rule-33: All employees appointed by the Council under sub-section (5) of section 14 shall be paid salaries and allowances as are sanctioned by the Council with the prior approval of the Government.) परन्तु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–63 दिनाँक 20.05.2024 के प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः HP(Homoeo)Audit-1/01-205 दिनाँक 21.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्ष 1992 से परिषद का गठन नहीं किया गया है जिस कारण यथा **परिशिष्ट "13"** अनुसार परिषद की अनुशंशा एवं स्वीकृति के बिना कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति तथा आउटसोर्स किये गये कर्मचारियों के वेतन पर किया गया **₹1542189.00** का व्यय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था तथा परिषद निधि से किये गये अनियमित व्यय को ईंगित करता है जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2			
Detail of payment of salary on Re-employment of staff and outsourcing staff	**Date of Re-employment: 08-08-2023 (A/N)**		
Particular		**Amount**	**Remarks**
Sh. Pawan Kumar Sharma, Retd.			
Last Pay Drawn as per Service Book Page-42-43	**Last pay drawan**	71900.00	As per Section 15 (5) of the Homoeopathic Practitioners Act, 1979
Salary Drawn for 8-2023, Pay Bill Reg. P-46	Salary for 23 days	57528.00	
Salary for 09-2023 to 11-2023, Pay Bill Reg. P-46 to 47	71900x3	215700.00	

Salary for 12-2023 to 05-2025, Pay Bill Reg. P-47 to 52	40% BP	517680.00	provided that " The council may appoint such other officers and servants as may be necessary for carrying out the purposes of this Act: Provided that the number and designation of such officers and servants and their salaries and allowances shall be subject to the previous approval of the Government.
Total salary paid in lieu of Re-employment		**862808.00**	
Smt. Neelam Sharma, Outsourced (DEO), Date of Joining: May 02-05-2022 (F/N)	Pay Bill Reg. Page		
Pay for 05-2022	31	16481.00	
Pay for 06-2022 to 12-2022 (17030x7)	32 -40	119210.00	
Pay for 01-2023	40	17112.00	
Pay for 02-2023 to 04-2023 (17030x3)	41-43	51090.00	
Pay for 05-2023	45	19439.00	
Pay for 06-2023 to 07-2023 (18321x2)	45	36642.00	
Pay for 08-2023 to 02-2024 (18234x7)	46 to 48	127638.00	
Pay for 03-2024 (18321x1)	49	18321.00	
Pay for 04-2024 to 05-2025 (19532x14)	49 - 52	273448.00	
Total payment of salry		**679381.00**	
Total payment of salary on Re-employment of staff and outsourcing staff		**1542189.00**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संस्थास्तर परिषद की अनुशंशा एवं स्वीकृति के बिना कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति एवं आउटसोर्सिंग पर किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से अनियमित भुगतान की वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 विविध अनियमितताएँ

11.1 हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के भाग/खण्ड–20 (1,2) के अनुसार निरीक्षक की नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के खण्ड–20 (1,2) के अनुसार कॉउसिल द्वारा सम्बन्धित संस्थानों के निरीक्षण एवं उनकी परीक्षा की जॉच हेतु आवश्यकतानुसार निरीक्षक की नियुक्ति की जानी अपेक्षित है तथा निरीक्षक द्वारा परिषद के दिशा–निर्देशों अनुसार निरीक्षण कार्य निष्पादित किया जायेगा एवं निरीक्षण रिपोर्ट को परिषद को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके लिये परिषद द्वारा निरीक्षक को निर्धारित दर से मानदेय की अदायगी भी की जायेगी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा निरीक्षक

की नियुक्ति एवं निरीक्षण रिपोर्ट से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है की परिषद स्तर पर संस्थानों की मान्यता, योग्यता, प्रमाप (Parameter) की नियमानुसार जॉच हेतु कोई भी उचित व्यवस्था नहीं थी जोकि संस्था की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है तथा नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–66 दिनाँक 24.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार परिषद का गठन एवं परिषद के दिशा–निर्देशानुसार सम्बन्धित संस्थाओं का निरीक्षण एवं उचित जॉच व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.2 हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के भाग/खण्ड–54 (2) के प्रतिकूल रजिट्रेशन शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं आवेदन शुल्क ईत्यादि के सम्बन्ध में अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित न कर सामान्य प्रस्ताव अथवा सामान्य पत्र के अन्तर्गत नियमों में परिवर्तन करना

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के भाग/खण्ड–54 (2) के अनुसार रजिट्रेशन शुल्क, नवीनीकरण शुल्क, आवेदन शुल्क एवं यात्रा भत्ते ईत्यादि में परिवर्तन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिसूचना के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त इन नियमों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया परिषद द्वारा समय–समय पर इन नियमों में सामान्य प्रस्ताव अथवा पत्र के अन्तर्गत ही परिवर्तन किया गया था जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	Type of Fees	Amendment in Rule 32 and 37.
1	2	3
1	Registration form fee	Proceeding of the meeting held on 3-8-2002 at 11:00 AM under the Chairmanship of Director of Ayurveda and Homoeopathy regarding amendments in the H.P. Homoeopathic Practiotioners (General) Rules 1983 Sub Rule -2, Dated 03-08-2002 (The fee was amended as mentioned under the column No. 2)
2	Registration fee	
3	Changes of Address	
4	Change of Name	
5	For Addl. Qualification fee	
6	Renewal fee	Proceeding of the meeting held on 27th february 2013 at 11:30 AM under the chairmanship of the Director Ayurveda Regarding amendments in the Himachal Pradesh Honoeopathic Practitioners
7	Renewal late fee per month	
8	Duplicate Registration	

	certificate fee	(General) Rules 1983. (The fee were amended, in addition to the fee mentioned under the column No. 2) Sub Rule 32 and amendment in provident fund for the employees of the council Appendix "C" Sub Rule-2. " Provisional registration fee Provisional registration form Renewal of Identity card after 5 years
9	Migration of Registration	Notification No. : HP(Homoe)Rue/ Amend. /2018- 605-634 dated 03-12-2018 (Issued by Dr. Rajesh Kumar) (The fee werea amended, in addition to the fee mentioned under the column No. 2) Provisional registration fee Provisional registration form fee Registration fee BHMS Issue of NOC fee Verification fee Late fee penalty BHMS/DHMS/RMP Change in address
10	Identity Card	
11	All application for affiliation of Homoeopathic Medical College/ Inspection fee	
12	Endowment fund of the isntitution	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–66 दिनाँक 24.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अधिसूचना के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त इन नियमों में परिवर्तन को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.3 हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1983 के नियम 3 के प्रतिकूल रजिस्टर्ड व्यवसायी (Registered Practitioner) **का नवीनीकरण न करना।**

अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1983 के नियम 3 (1 से 5) के प्रावधानानुसार यथा **परिशिष्ट "14"** (Annexure-"A & B") में वर्णित रजिस्टर्ड व्यवसायियों (Registered Practitioner) का नवीनीकरण नहीं किया गया था जिस कारण परिषद को एक ओर प्रतिवर्ष वित्तीय हानि हो रही थी वहीं दूसरी ओर 3 से 39 वर्षों के उपरान्त भी रजिस्टर्ड व्यवसायियों (Registered Practitioner) का नियमानुसार नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण यह भी सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या इन रजिस्टर्ड व्यवसायियों (Registered Practitioner) द्वारा व्यवसाय

बन्द कर दिया गया है अथवा बिना नवीनीकरण के ही अनाधिकृत रूप से व्यवसाय को किया जा रहा था, जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Registration No. (Qualilfied Practitioners)	Registration valid upto the year	No's of Registered Practitioners	Registration not renewed (In Years)
1	As per Annexure - A	1986 to 2000	14 Nos	Abount from 25 to 39 years
2	As per Annexure - A	2001 to 2010	40 Nos	Abount from 15 to 25 years
3	As per Annexure - A	2011 to 2015	32 Nos	Abount from 10 to 15 years
4	As per Annexure - A	2016 to 2020	55 Nos	Abount from 5 to 10 years
5	As per Annexure - A	2021 to 2023	36 Nos	Abount from 2 to 4 years
Sr. No.	**Registration No. (Un-Qualilfied Practitioners)**	**Registration valid upto the year**	**No's of Registered Practitioners**	**Registration not renewed (In Years)**
1	As per Annexure - B	1986 to 2000	87 Nos	Abount from 25 to 39 years
2	As per Annexure - B	2001 to 2010	14 Nos	Abount from 15 to 25 years
3	As per Annexure - B	2011 to 2015	326 Nos	Abount from 10 to 15 years
4	As per Annexure - B	2016 to 2020	112 Nos	Abount from 5 to 10 years
5	As per Annexure - B	2021 to 2023	24 Nos	Abount from 2 to 4 years

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–66 दिनाँक 24.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्थास्तर पर उचित जॉच उपरान्त नियमानुसार रजिस्टर्ड व्यवसायी (Registered Practitioner) का नवीनीकरण एवं लम्बित शुल्क की निमयानुसार वसूली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.4 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आय ₹210 को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करनाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद को समय–समय पर सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ₹210 की आय प्राप्त हुई थी जिसे हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः Per(AR)B(15)-1 2012 दिनॉक 11.09.2019 के दृष्टिगत शीर्ष संख्याः "0070-60-118-01 –Receipt from Right to Information" में जमा किया

जाना अपेक्षित था परन्तु परिषद द्वारा राशि को संस्था के सामान्य बचत खाते में जमा किया गया था जोकि निमयों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Sr. No.	Receipt No.	Income Head	Date	Amount as per receipt	Amount entered in Cash Book	CBP	Remarks
1	..004281	RTI Fee	19-04-2010	10	10	97	Amount received under Receipt from Right to Information was kept in saving account. Whereas, the same should be deposited under the head "0070-60-118-01.
2	..000214	RTI Fee	03-08-2011	10	10	135	
3	..000304	RTI Fee	09-11-2011	10	10	145	
4	..000868	RTI Fee	15-05-2012	50	50	165	
5	..001438	RTI Fee	18-03-2013	10	10	191	
6	..001696	RTI Fee	16-12-2013	10	10	212	
7	..001819	RTI Fee	09-10-2014	10	10	216	
8	..003323	RTI Fee	11-12-2017	100	100	325	
Total					**210**		

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः Per(AR)B(15)-1 2012 दिनॉक 11.09.2019 के दृष्टिगत उक्त आय को शीर्ष संख्याः "0070-60-1 18-01 –Receipt from Right to Information" में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों ₹3268 का अनियमित भुगतान करने बारे

अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार समयबाधित (Time Barred) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों ₹3268 को संस्थास्पर पर ही पारित करके भुगतान किया गया था जबकि हि0प्र0 वितीय नियमावली 2009 के नियम 175 के अनुसार 90 दिनों के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिलों को कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त हि0प्र0 वितीय नियमावली 2009 के नियम 178 के अनुसार विलम्ब से प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को संस्थाध्यक्ष के आवश्यक अनुमोदन पश्चात् भुगतान किया जाना अपेक्षित था अन्यथा समयबाधित (Time Barred) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की राशि को जब्त (Forfeit) किया जाना अपेक्षित था परन्तु संस्था द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जिस कारण संस्थास्तर पर ही समयबाधित (Time Barred) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर किया गया ₹3268 का भुगतान नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Vr. No. and last date of prescription of medicine as per OPD Slip	Name of Employee	Date of Submissin	Amount
1	5566/11.10.2010	Sh. Pawan Kumar Sharma, Sr. Asstt.	11.02.2011	2396.00
2	7292/06.09.2011	----------do----------	11.02.2011	200.00
3	7519/22.01.2011	----------do----------	12.07.2011	178.00
4	76200/22.01.2011	----------do----------	12.07.2011	494.00
Amount				**3268.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–70 दिनाँक 28.02.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा अंकेक्षण के दौरान आश्वस्त किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा संस्थास्तर पर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की उचित पड़ताल उपरान्त अनियमित/अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 विविध रजिस्टर/अभिलेख का रख–रखाव/संधारण न करना

हि0प्र0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं कार्यालय निर्देशिका/नियम पुस्तिका (तीसरा संस्करण) 2011 (Government of Himachal Pradesh Office Manual, Third Edition April 2011) अध्याय 13 के पैरा 13.1 में 13.1.1 से 13.1.20 के प्रावधानानुसार विविध रजिस्टरों का अनुसरक्षण/संधारण किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का नियमानुसार अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

i. सहायता अनुदान रजिस्टर (Grant in aid register)
ii. यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता दावा बिल रजिस्टर
iii. चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर
iv. रसीद बुक प्राप्ति व जारी करने का रजिस्टर
v. आर. टी. आई. रजिस्टर
vi. माननीय न्यायलय में केस से सम्बन्धित रजिस्टर

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–66 दिनाँक 24.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि नियमानुसार अपेक्षित रजिस्टरों का संधारण करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः नियमानुसार अपेक्षित रजिस्टर/अभिलेख को तैयार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सुझाव दिया जाता है कि यथाशीघ्र अपेक्षित अभिलेख/रजिस्टर का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 **सामग्री के स्टॉक/स्टोर का नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करनाः–**

हि0प्र0 वितीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 के प्रावधानानुसार अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार/स्टॉक–स्टोर स्थाई सम्पतियों तथा अनुपयोगी मदों की सूची/रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा तथा विभागाध्यक्ष/अधिकृत कर्मचारी/गठित समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार के समक्ष मदों का मिलान अनुरक्षित/संधारित स्टॉक रजिस्टर के शेष से वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना तथा भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी अन्तर पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार निर्धारित सुधारात्मक कदम/यथोचित कार्यवाही हेतु प्रकरण तत्काल सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया था, जोकि वर्णित प्रावधानों की उल्लंघना के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसी/स्टेट ऑडिट–2025–65 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में परिषद द्वारा पत्र संख्याः पत्र संख्याः हि0प्र0/होम्यों/लेखा–1/01–207 दिनाँक 27.05.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि भविष्य में भी नियमानुसार भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित किया जायेगा व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान भौतिक सत्यापन न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में सामग्री के स्टॉक/स्टोर का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक में किसी भी मद के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी सभी लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया था।

16 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों में वर्णित आपत्तियों के आधार पर सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
कसुम्पटी, शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620881

4086 - 4089 01 JUL 2025

पृष्ठाँकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)58/51 खण्ड—4, दिनाँक , शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, हि0प्र0 सरकार शिमला—171002
2. निदेशक, आयुर्वेद (होम्योपैथिक) हि0प्र0 शिमला—171009,
3. पंजीयक, हिमाचल प्रदेश राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद, शिमला—171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
4. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकत

01 JUL 2025

(रविन्द्र कंवर)
संयुक्त निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
कसुम्पटी, शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620881

परिशिष्ट–"क" पैरा संख्याः 1 (घ) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण अवधि 04/1988 से 03/1989

1	पैरा–7(1)(ए)(2)	अनिर्णीत	
2	पैरा–10(1)से(3)	अनिर्णीत	
3	पैरा–10(7)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण अवधि 04/1989 से 03/1990

1	पैरा–6(1)से(3)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (6)से(7)	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण अवधि 04/1990 से 03/1996

1	पैरा–7(क)से(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा–8 (ख)से(ड)	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण अवधि 04/1996 से 03/2001

1	पैरा–5(ग)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं वस्तुस्थिति के दृष्टिगत
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–11	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–14	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं वस्तुस्थिति के दृष्टिगत

(ड) अंकेक्षण अवधि 04/2002 से 03/2010

1	पैरा–4(क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
2	पैरा–4(ख)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
3	पैरा–4(ग)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
4	पैरा–5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
5	पैरा–7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत
6	पैरा–8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति को प्रारूपित करने के दृष्टिगत

अनिर्णीत पैरों का विवरण	पैरे
दिनाँक 01–04–2010 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक भोष	**20**
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लगाए गये पैरे	11
कुल पैरे	**31**
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	8
दिनाँक 31–03–2025 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	**23**

परिशिष्ट - 1, पैरा संख्या: 4 में संदर्भित

Year wise Financial Position of State Council of Homeopathic System of Medicine (H.P.), Shimla-2 for the period 04-2010 to 03-2025							
Financial Year	**Opening Balance**	**Receipt during the Year**	**GIA Received**	**Inretest Income**	**Total**	**Expenditure during the Year**	**Closing Balance**
2010-11	684273.85	133984.00	150000.00	27670.00	995927.85	389449.00	606478.85
2011-12	606478.85	135097.00	350000.00	18769.00	1110344.85	405682.00	704662.85
2012-13	704662.85	154521.00	0.00	14088.00	873271.85	492984.00	380287.85
2013-14	380287.85	519081.00	200000.00	13470.00	1112838.85	543946.00	568892.85
2014-15	568892.85	209132.00	800000.00	24715.00	1602739.85	617176.00	985563.85
2015-16	985563.85	280085.00	500000.00	25667.00	1791315.85	686955.00	1104360.85
2016-17	1104360.85	645274.00	650000.00	34972.00	2434606.85	802262.00	1632344.85
2017-18	1632344.85	377626.00	650000.00	52169.00	2712139.85	887478.00	1824661.85
2018-19	1824661.85	659155.00	0.00	57134.00	2540950.85	996373.00	1544577.85
2019-20	1544577.85	1242022.00	750000.00	82431.00	3619030.85	1075314.00	2543716.85
2020-21	2543716.85	812412.00	850000.00	92504.00	4298632.85	1008584.00	3290048.85
2021-22	3290048.85	396677.00	1806000.00	110293.00	5603018.85	1065966.00	4537052.85
2022-23	4537052.85	1421720.00	993000.00	129378.00	7081150.85	1618581.00	5462569.85
2023-24	5462569.85	1009066.00	993000.00	104422.00	7569057.85	3342806.00	4226251.85
2024-25	4226251.85	3252895.00	993000.00	99405.00	8571551.85	3181984.00	5389567.85

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट: 2, पैरा संख्या: 5 व 6.3 में संदर्भित

Bank reconciliation Statement of HP State Council of Homoeopathic System of Medicine, as on 31-03-2025					
	Balance as per Cash Book as on 01-03-2025				**5389567.85**
Add	Direct Deposit in Bank dt. 8-1-2024				11.00
Add	Unidentified credit in Bank Account dated 03-02-2017				5500.00
Less	Less amount deposited at Bank as per annexure -A				-46290.00
Less	Cheque deposited but cleared on 10-04-2025 (Detail)				-39475.00
Sr. No.	**Date of income entered in cash book**	**CBP**	**Amount**	**Cleared on**	
1	19-02-2025	110	3350.00	10-04-2025	
2	24-02-2025	111	8375.00	10-04-2025	
3	27-02-2025	11	10050.00	10-04-2025	
4	05-03-2025	112	1775.00	10-04-2025	
5	11-03-2025	112	3550.00	10-04-2025	
6	11-03-2025	112	1800.00	**(Not cleared till 20-05-2025).**	
7	13-03-2025	113	5975.00	10-04-2025	
8	24-03-2025	113	4600.00	10-04-2025	
Total			**39475.00**		
Total after addition and subtraction					**5309313.85**
Balance as per Bank Statement/ certificate as on 31-03-2025 Account No. (HP State Co-Operative Bank Kasumpti Shimla-9) 4170102118					**2809313.85**
Add:	FDR as on 31-03-2015 (As per cash book page - 101 Dated 04-12-2024)				2500000.00
Total Balance in bank account including FDR					**5309313.85**
Difference after addition and subtraction					**0.00**

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

H P STATE CO-OP BANK LTD
KASUMPTI

DATE : 31/03/2025

To,
StateCouncil ofHomeopathicSystem of,
8TH FLOOR,REGIONAL AYURVEDIC HOSPITAL
CHHOTTA SHIMLA,SHIMLA,
Pin Code : 171002

Dear Sir / Madam,

Subject : SAVING BANK(IND./GP/GOVT./LIC) A/c No.: 4170102118

This is to certify that your account maintained with these branch carries a balance of Rs. 2809313.85 as on date 31/03/2025

Credit Balance [In Words] :
Twenty Eight Lac Nine Thousand Three Hundred Thirteen And Paise Eighty Five Only

Thanking You

For The H.P. State Co-op. Bank Ltd.

hpseb

[Senior Manager/Kasumpti, Shimla]
Code No. : 417

33

परिशिष्ट: 3, पैरा संख्या: 6.1 में संदर्भित

Statement FDR,s in R/o HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2, Distt. Shimla H.P. during the period as on 31-03-2025									
Sr No.	Year	Receipt No.	Account No.	Amount Invested	Rate of interest	Date of Investment	Date of Maturity	Period	Maturity Amount
H.P. State Audit Co-Operative Bank, Branch Office Kasumpti, Shimla-171009									
1	2024-25	2951566	41730304985	500000.00	7.10	04-12-2024	04-12-2025	One Year	**536456.00**
2	2024-25	2951567	41730304985	2000000.00	7.10	04-12-2024	04-12-2025	One Year	**2145826.00**
Total				**2500000.00**					**2682282.00**

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट : 4, पैरा संख्या : 7.1 में संदर्भित

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2

Statement of less amount entered in cash book as well as less amount deposited in Bank Account.

Sr. No.	Receipt No.	Registration/ Renewal fee	Date	Amount as per receipt	Amount entered in Cash Book	CBP	Less amount entered in Cash Book	Remarks
1	4288	Sh. Sham Lal Sharma	08-04-10	325.00	130.00	98	195.00	Less amount entered in Cash Book
2	..000202	Sandip Chaudhary	12-07-11	160.00	0.00	133	160.00	
3	..000864	Sh. Sidharth Sani	14-05-12	1800.00	300.00	164	1500.00	
4	..002627	Sh. Vijay Sareen	06-06-16	1000.00	0.00	282	1000.00	
5	..003353	Sh. Nasir Mohammad	05-02-18	530.00	500.00	329	30.00	
6	..003681	Sh. Harleen Panpher	02-07-19	5000.00	0.00	364	5000.00	Receipts shown as cancelled but issuing part not retained.
7	..003843	Sh. Pian Chand	04-01-20	1000.00	0.00	373	1000.00	
8	..004433	Blank counter folio	08-03-21	0.00	0.00	413	0.00	
Total less amount entered in cash book and deposited in Bank account							**8885.00**	

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट: 5, पैरा संख्या: 7.2 में संदर्भित

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2						
Statement showing the detail of less amount deposited in Bank Account during the audit period 04-2010 to 03-2025						
Sr. No.	Rec No.	CBP	Date	Amount entered in Cash Book	Amount Deposited at Bank	Less Amount Deposited at bank
1	918	170	02-08-2012	520.00	0.00	520.00
2	1643	206	07-09-2013	500.00	0.00	500.00
3	2184	230	04-04-2014	3000.00	2500.00	500.00
4	2333	242	16-08-2014	3000.00	2500.00	500.00
5	2334	242	16-08-2014	500.00	0.00	500.00
6	2842	298	03-01-2017	3500.00	3000.00	500.00
7	2843	298	03-01-2017	3500.00	3000.00	500.00
8	2844	298	03-01-2017	3500.00	3000.00	500.00
9	..003323	325	11-12-2017	100.00	0.00	100.00
10	..003725	370	09-10-2019	2000.00	0.00	2000.00
11	..003878	378	04-01-2020	2500.00	500.00	2000.00
12	4294 to 4301	406	02-12-2020	17500.00	16000.00	1500.00
13	4458 to 4470	2	28-04-2021	29200.00	29000.00	200.00
14	4513	8	24-09-2021	6100.00	0.00	6100.00
15	4658 to 4676	24	15-06-2022	54600.00	32655.00	21945.00
16	271	93	16-09-2024	500.00	0.00	500.00
18	279	100	23-11-2024	1700.00	0.00	1700.00
19	282	102	05-12-2024	500.00	0.00	500.00
20	283-284	102	16-12-2024	2500.00	0.00	2500.00
21	285 to 287	103	18-12-2024	8500.00	7675.00	825.00
22	288	104	23-12-2024	1700.00	0.00	1700.00
23	291	104	30-12-2024	700.00	0.00	700.00
Total less amount deposted in Bank Account						46290.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट : 6, पैरा संख्या : 7.3 में संदर्भित

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2

Direct Exependiture from income received without deposit at bank account

Sr. No.	Date	CBP	Paid to	Purpose	Amount
1	11-05-2010	99	M/s Baldev General Store Chhota Shimla	Purchase of Stationery	630
2	20-05-2010	100	M/s Universal agencies Anaj Mandi Shimla	Purchase of Bookeys	500
3	08-07-2010	104	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	1467
4	02-08-2010	107	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	915
5	29-09-2010	110	M/s Baldev General Store Chhota Shimla	Photostate 150 copies and stationery	995
6	23-10-2010	112	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	1328
7	01-12-2010	114	M/s Image Marketing Shimla-9	Window repair of PC	550
8	06-06-2011	131	Sh. Shamsher Singh	Repair of Almirah	600
9	12-07-2011	133	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	672
10	28-07-2011	134	M/s Baldev General Store Chhota Shimla	Purchase of Stationery	915
11	28-07-2011	134	M/s Shivalik Offset Printers Kasumpti Shimla	Photostate 500 copies	1000
12	30-12-2011	148	M/s Atul Electricals Chhota Shimla	Room Heater	600
13	13-02-2012	157	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	867
14	12-03-2012	159	M/s Baldev General Store Chhota Shimla	Purchase of Stationery	925
15	21-03-2012	160	M/s Baldev General Store Chhota Shimla	Photostate 300 copies	600
16	03-04-2012	162	M/s Image Make Computers Kasumpti Shimla	Repair of printer	950
17	25-07-2012	169	M/s Abmbika traders Shimla-1	Purchase of Stationery	980
18	08-01-2013	182	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	529
19	20-02-2013	187	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	755
20	20-02-2013	187	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	755
21	25-03-2013	191	M/s Baldev General Store Chhota Shimla	Purchase of Stationery	845
22	29-04-2013	195	M/s Baldev General Store Chhota Shimla	Purchase of Stationery	735
23	07-09-2013	206	M/s Baldev General Store Chhota Shimla	Purchase of Stationery	530
24	28-10-2013	208	M/s SB Enterprises Shimla -9	Repair of computer	830
25	05-02-2014	223	M/s Shimla Stationer, Kasumpti Shimla-9	Purchase of Stationery	510
26	06-03-2014	226	M/s HP Xerox Service Shimla-9	Repair of printer	1200
27	06-06-2014	235	M/s Shimla Stationer, Kasumpti Shimla-9	Purchase of Stationery	772
28	23-07-2014	240	M/s Paul Studio Lakkar Bazar Shimla	Identity Card PVC	625
29	26-10-2016	292	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	840
30	24-08-2017	321	Sh. Pawan Kumar Sharma, Junir Asstt.	Medical Bill Claim	3182
31	28-11-2017	324	M/s Apex computers lower khalini shimla	Repair of printer	1200
32	24-11-2018	348	Postmaster GPO Shimla-9	Purchase of postal ticket	1500
33	30-03-2019	358	Postmaster GPO Shimla-9	Purchase of postal ticket	2000
34	24-05-2019	362	Sh. Pankaj Sharma Panthaghati Shimla	Freight of destroy of record	2600
35	31-12-2019	376	Printing and stationery deptt.	Purchase of Stationery	1781
36	31-12-2019	376	M/s gatewary infosolutions shimla-9	Repair of printer	708
37	27-07-2020	397	Postmaster sub post office Shimla-2	Purchase of postal ticket	3080
38	24-09-2021	8	M/s Apex computers lower khalini shimla	Repair of computer	950
39	24-03-2022	17	M/s Apex computers lower khalini shimla	Repair of printer	625
40	02-09-2022	29	M/s Vigyapan enterprises, Kasumpti Shimla	Printing of I Card	1440
41	17-01-2023	42	Paid to postmaster (detail not mention)	Purchase of postal ticket	3000
42	25-03-2023	50	M/s Apex computers lower khalini shimla	Repair of printer	2500
43	12-06-2023	57	Paid to postmaster (detail not mention)	Purchase of postal ticket	3000
44	17-07-2023	59	M/s Pranjoy store vikasnagar	Purchase of Stationery	690
45	29-01-2024	71	M/s Image Marketing Shimla-9	Photostate 200 copies	700
46	05-04-2024	80	Paid to postmaster (detail not mention)	Purchase of postal ticket	1300
47	03-05-2024	82	M/s Apex computers lower khalini shimla	Repair of printer	2300
48	20-11-2024	99	M/s Lakhanpal General store Shimla-2	Purchase of Stationery	1400
49	04-12-2024	101	M/s Image Marketing Shimla-9	Purchase of Stationery	1534
			Total Cash Payment		**58910**

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Secretary
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट: 7 पैरा संख्या: 8.1 व 8.2 में संदर्भित

Grant in aid received from the Govt., thorough Director AYUSH, H.P. Shimla-2 during the period 4.2010 to 03.2025

Sr. No.	Year	Sanction Letter/Draft. No.	Received from	Amount	Date of Received GIA in Bank Account	Cash Book Page No. & Date	Utilization certificated sent to the Director Ayurveda/Ayush, HP Shimla-9
1	2009-10	SJE-B-C (10)-54/2009-loose Dt. 25-3-2010	Asstt. Director Ayurveda HP	150000	1.05.2010	100/ 18.05.2010	HP(Homoeo)Gia-1/06-841 Dt. 06-01-2011
2	2010-11	SJE-B-C (10)-46/2010-loose Dt. 21-03-2011	Asstt. Director Ayurveda HP	150000	25-04-2011	128/ 25.04.2011	HP(Homoeo)Gia-1/06-762 Dt. 22-09-2011
3	2011-12	SJE-B(c)(10(41)/2011-Loose dated 08.11.2011	Asstt. Director Ayurveda HP	150000	02-02-2012	156/ 02.02.2012	HP(Homoeo)Gia-1/06-01 Dt. 04-01-2013
4		SJE-B(c)(10(41)/2011-Loose dated 15.11.2011	Asstt. Director Ayurveda HP	50000			
5	2012-13	Ayur (H) (A)(3)-73/85 04-03-2013	Deputy Director Ayurveda HP	200000	06.04.2013	193/ 01.04.2013	HP(Homoeo)Gia-1/06-803-4 Dt. 05-12-2013
6	2013-14	Draft No. 780249 dt. 21.4.2014 (GIA letter Not received)	Deputy Director Ayurveda HP	400000	23.04.2014	231/ 16.04.2014	HP(Homoeo)Gia-1/06-985-86 Dt. 22-12-2014
7	2014-15	Draft No. UNE 698316 dt. 17.03.2015 (GIA letter Not received)	Deputy Director Ayurveda HP	400000	20.03.2015	253/ 17.03.2015	HP(Homoeo)Gia-1/06-227 Dt. 21-12-2015
8	2016-17	Ayur-H(c)(17)-5/80-SCSP-III-1725 dt. 03.02.2016	Deputy Director Ayurveda HP	500000	22.03.2016	275/ 15.03.2016	HP(Homoeo)Gia-1/06-520-21 Dt. 30-11-2016
9	2017-18	Ayur-H(c)(17)-5/80-SCSP-III-23797 dt. 16-12-2016	Deputy Director Ayurveda HP	650000	14.02.2017	304/ 06.02.2017	HP(Homoeo)Gia-1/06-667-68 Dt. 28-12-2017
10	2017-18	Ayur-H(c)(17)-5/80-SCSP-III-689 dt. 15-01-2018	Director Ayurveda HP	650000	20.02.2018	331/ 05.03.2018	HP(Homoeo)Gia-1/06-601-602 Dt. 24-11-2018
11	2018-19	Ayur-H(c)(17)-5/80-SCSP-III-9546 dt. 19-03-2019	Director Ayurveda HP	750000	30.03.2019	359/ 03.04.2019	HP(Homoeo)Gia-1/06-324-325 Dt. 01-01-2020
12	2019-20	UTR. No. NEFT-N-200 dt.31.03.2020	Director Ayurveda HP	850000	31.03.2020	393/ 27.04.2020	HP(Homoeo)Gia-1/06-03-04 Dt. 08-02-2021
13	2020-21	Ayur-H(c)(17)-5/80-SCSP-III-4193-96 dt. 04-03-2021	Director Ayush, HP	860000	24.05.2021	3/ 18.05.2021	HP(Homoeo)Gia-1/06-324-25 Dt. 02-02-2022 & HP(Homoeo)Gia-1/06-413 Dt. 10-03-2022
14	2021-22	Ayur-H(c)(17)-5/80-SCP-Vol-III-58 dt. 03-01-2022	Director Ayush, HP	946000	03.02.2022	15/ 07.02.2022	HP(Homoeo)Gia-1/06-94-95 Dt. 11-01-2023
15	2022-23	UTR No.NEFT-N-230 Dt. 18-03-2023	Director Ayush, HP	993000	16.03.2023	49/ 18.03.2023	HP(Homoeo)Gia-1/06-538-39 Dt. 18-12-2024
16	2023-24	Ayur-H(c)(17)-5/80-SCSP-III-27982 dt. 16-11-2023	Director Ayush, HP	993000	20.11.2023	65/ 20.11.2023	
17	2024-25	AYUR-H(c)(17)-5/80-SCSP-32-Vol-III-1090 dated 27.01.2025	Director Ayush, HP	993000	26.03.2025	114/ 28.03.2025	UC will be sent after utilization of the GIA
		Total		**9685000**			

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.

38

Registrar
State Council of Homoeopathic System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट: 8, पैरा संख्या: 9.1 में संदर्भित

Month wise Income Statement of State Council of Homeopathic System of Medicine (H.P.), Shimla-2													
Year	April	May	June	July	August	Sept	October	Nov.	December	Jan.	Feb.	March	Total
2010-11	4270.00	155820.00	**31285.00**	7045.00	23700.00	10000.00	16444.00	830.00	7480.00	37380.00	11600.00	5800.00	311654.00
2011-12	162393.00	12520.00	12430.00	6490.00	9010.00	33898.00	3280.00	4510.00	9440.00	**37765.00**	208930.00	3200.00	503866.00
2012-13	6775.00	17251.00	15600.00	19640.00	920.00	10649.00	11200.00	29069.00	13420.00	**29340.00**	7305.00	7440.00	168609.00
2013-14	224624.00	26250.00	66150.00	4010.00	61830.00	12500.00	2600.00	4300.00	66220.00	**189717.00**	38780.00	35570.00	732551.00
2014-15	429413.00	17805.00	**67360.00**	53735.00	10835.00	3210.00	1265.00	2150.00	18750.00	4960.00	1800.00	422564.00	1033847.00
2015-16	17320.00	14366.00	17560.00	**155360.00**	4500.00	3660.00	1040.00	3000.00	36910.00	19290.00	17420.00	515326.00	805752.00
2016-17	49882.00	21300.00	11900.00	**179600.00**	28500.00	21000.00	24364.00	2500.00	84600.00	142500.00	701570.00	62530.00	1330246.00
2017-18	14940.00	28413.00	18570.00	**191100.00**	25900.00	3760.00	0.00	30342.00	7380.00	23900.00	52800.00	682690.00	1079795.00
2018-19	28977.00	11820.00	32580.00	30030.00	181230.00	4586.00	37600.00	3500.00	17230.00	62200.00	26350.00	**280186.00**	716289.00
2019-20	801994.00	18680.00	23040.00	26840.00	**388300.00**	65400.00	44714.00	24000.00	145600.00	242500.00	79525.00	213860.00	2074453.00
2020-21	892217.00	0.00	14200.00	114140.00	111580.00	20880.00	70169.00	4000.00	48780.00	109550.00	51500.00	**317900.00**	1754916.00
2021-22	94175.00	863900.00	0.00	16600.00	80400.00	11000.00	54995.00	9500.00	**141700.00**	47000.00	972400.00	21300.00	2312970.00
2022-23	93698.00	**446100.00**	106000.00	16400.00	18000.00	219315.00	87385.00	22600.00	158700.00	208000.00	48000.00	1119900.00	2544098.00
2023-24	**457743.00**	22100.00	65800.00	17100.00	32244.00	7900.00	**123980.00**	1003400.00	38000.00	122011.00	30485.00	185725.00	2106488.00
2024-25	61810.00	**294365.00**	39739.00	15550.00	28175.00	17950.00	71898.00	44365.00	2572700.00	111975.00	52925.00	1033848.00	4345300.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट : 8, पैरा संख्या : 9.1 में संदर्भित

Month wise Expenditure Statement of State Council of Homeopathic System of Medicine (H.P.) Shimla-2

Year	April	May	June	July	August	Sept	October	Nov.	December	Jan.	Feb.	March	Total
2010-11	35651.00	25625.00	24945.00	26337.00	34210.00	36051.00	33475.00	36043.00	26668.00	26936.00	40065.00	**43443.00**	389449.00
2011-12	27808.00	32874.00	34707.00	32344.00	31757.00	29757.00	38666.00	29757.00	30477.00	29757.00	30624.00	**57154.00**	405682.00
2012-13	42314.00	55289.00	33437.00	34307.00	32987.00	45400.00	34354.00	43650.00	38591.00	37406.00	37972.00	**57277.00**	492984.00
2013-14	45155.00	41018.00	40738.00	40738.00	40738.00	54081.00	43354.00	44270.00	42524.00	43004.00	48650.00	**59676.00**	543946.00
2014-15	57132.00	46034.00	46806.00	46659.00	46034.00	48152.00	**69867.00**	49335.00	49275.00	48835.00	49679.00	59368.00	617176.00
2015-16	51897.00	**67418.00**	54450.00	54550.00	54550.00	54550.00	66592.00	56058.00	56058.00	58716.00	56058.00	56058.00	686955.00
2016-17	75519.00	59182.00	63194.00	59234.00	61954.00	69629.00	61529.00	74801.00	62082.00	70406.00	68732.00	**76000.00**	802262.00
2017-18	62600.00	71465.00	69219.00	67619.00	68901.00	66412.00	86412.00	68679.00	67479.00	67479.00	67479.00	**123734.00**	887478.00
2018-19	68279.00	76567.00	74162.00	73402.00	77022.00	72462.00	72348.00	92799.00	74268.00	74268.00	74268.00	**166528.00**	996373.00
2019-20	78349.00	79526.00	76926.00	76926.00	**194926.00**	0.00	153872.00	76926.00	99381.00	78056.00	79010.00	81416.00	1075314.00
2020-21	78056.00	80328.00	**94286.00**	90864.00	86784.00	81784.00	81784.00	87064.00	79682.00	79184.00	86984.00	81784.00	1008584.00
2021-22	81784.00	84677.00	84157.00	89557.00	84157.00	85107.00	88978.00	85957.00	90957.00	86155.00	85957.00	**118523.00**	1065966.00
2022-23	106194.00	105461.00	**241342.00**	124141.00	122091.00	123531.00	172091.00	123391.00	122091.00	125091.00	123766.00	129391.00	1618581.00
2023-24	**2726242.00**	52457.00	22439.00	33237.00	18321.00	75762.00	90584.00	90134.00	90134.00	47824.00	46994.00	48678.00	3342806.00
2024-25	48381.00	54717.00	0.00	0.00	**174788.00**	55292.00	104074.00	14752.00	2504778.00	104169.00	62741.00	58292.00	3181984.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट: 9, पैरा संख्या: 10.1 में संदर्भित
10.2

Statement of excess payment of Salary of Sh. Pawan Kumar, Sr. Asstt.														
HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2														
Sh. Pawan Kumar Sharma, Clerk		Date of Joining: 1-4-1988			Clerk							Date of Retirement: 30-04-2023		
	Pay to be consider for Pay revision as per audit				Pay fixation as per Service Book			Notional pay due to ACPS w.e.f. 27-8-09	Excess Payment of Basic Pay (Financial)	Excess Payment				
	Date	Pay in the PB	GP	Total	Pay in the PB	GP	Total			DA		Total Excess Payment	Period	SB Page
Pay as on	31-12-2005	6000.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	6000.00							19 to 21
Pay revision	01-01-2006	11160.00	2800.00	13960.00	11160.00	3000.00	14160.00		200.00	0%	0.00	600.00	1-1-06 to 31-3-06	22-23
Annual Inc.	01-04-2006	11580.00	2800.00	14380.00	11590.00	3000.00	14590.00		210.00	0%	0.00	630.00	1-4-06 to 30-6-06	22-23
DA	01-07-2006	11580.00	2800.00	14380.00	11590.00	3000.00	14590.00		210.00	2%	4.00	1284.00	1-7-06 to 31-12-06	22-23
DA	01-01-2007	11580.00	2800.00	14380.00	11590.00	3000.00	14590.00		210.00	6%	13.00	669.00	1-1-07 to 31-3-07	22-23
Annual Inc.	01-04-2007	12020.00	2800.00	14820.00	12030.00	3000.00	15030.00		210.00	6%	13.00	669.00	1-4-07 to 30-6-07	22-23
DA	01-07-2007	12020.00	2800.00	14820.00	12030.00	3000.00	15030.00		210.00	9%	19.00	1374.00	1-7-07 to 31-12-07	22-23
DA	01-01-2008	12020.00	2800.00	14820.00	12030.00	3000.00	15030.00		210.00	12%	25.00	705.00	1-1-08 to 31-3-08	22-23
Annual Inc.	01-04-2008	12470.00	2800.00	15270.00	12480.00	3000.00	15480.00		210.00	12%	25.00	705.00	1-4-08 to 30-6-08	22-23
DA	01-07-2008	12470.00	2800.00	15270.00	12480.00	3000.00	15480.00		210.00	16%	34.00	1464.00	1-7-08 to 31-12-08	22-23
DA	01-01-2009	12470.00	2800.00	15270.00	12480.00	3000.00	15480.00		210.00	22%	46.00	768.00	1-1-09 to 31-3-09	22-23
Annual Inc.	01-04-2009	12930.00	2800.00	15730.00	12950.00	3000.00	15950.00		220.00	22%	48.00	804.00	1-4-09 to 30-6-09	22-23
DA	01-07-2009	12930.00	3000.00	15930.00	12950.00	3000.00	15950.00		20.00	27%	5.00	25.00	1-7-09 to 31-07-09	22-23
	01-08-2009	12930.00	3000.00	15930.00	12950.00	3000.00	15950.00		20.00	27%	5.00	20.97	1-8-09 to 26-08-09	22-23
ACPS 9, 14 Years	27-08-2009	13410.00	3200.00	16610.00	13430.00	3200.00	16630.00	20.00	20.00	27%	5.00	4.03	27-8-09 to 31-08-09	28-29
	01-09-2009	13410.00	3200.00	16610.00	13430.00	3200.00	16630.00	20.00	20.00	27%	5.00	100.00	1-9-09 to 31-12-09	28-29
DA	01-01-2010	13410.00	3200.00	16610.00	13430.00	3200.00	16630.00	20.00	20.00	35%	7.00	81.00	1-1-10 to 31-3-10	28-29
Annual Inc.	01-04-2010	13910.00	3200.00	17110.00	14450.00	3600.00	18050.00	940.00	20.00	35%	7.00	81.00	1-4-10 to 30-6-10	28-29
DA	01-07-2010	13910.00	3200.00	17110.00	14450.00	3600.00	18050.00	940.00	20.00	45%	9.00	174.00	1-7-10 to 31-12-10	28-29
DA	01-01-2011	13910.00	3200.00	17110.00	14450.00	3600.00	18050.00	940.00	20.00	51%	10.00	90.00	1-1-11 to 31-3-11	28-29
Annual Inc.	01-04-2011	14430.00	3200.00	17630.00	15000.00	3200.00	18200.00	570.00	30.00	51%	15.00	135.00	1-4-11 to 30-6-11	28-29
DA	01-07-2011	14430.00	3200.00	17630.00	15000.00	3200.00	18200.00	570.00	30.00	58%	17.00	282.00	1-7-11 to 31-12-11	28-29
DA	01-01-2012	14430.00	3200.00	17630.00	15000.00	3200.00	18200.00	570.00	30.00	65%	20.00	150.00	1-1-12 to 31-3-12	28-29
Annual Inc.	01-04-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00	590.00	30.00	65%	20.00	150.00	1-4-12 to 30-6-12	28-29
DA	01-07-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00	590.00	30.00	72%	22.00	52.00	1-7-12 to 31-7-12	28-29
	01-08-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00	590.00	30.00	72%	22.00	13.42	1-8-12 to 8-8-12	28-29
	09-08-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00	590.00	590.00	80%	472.00	787.94	9-8-12 to 31-8-13	28-29

Registrar
State Council of Homoeopathic System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

	01-09-2012	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00		590.00	80%	472.00	4248.00	1-9-12 to 31-12-12	28-29
DA	01-01-2013	14960.00	3200.00	18160.00	15550.00	3200.00	18750.00		590.00	80%	472.00	3186.00	1-1-13 to 31-3-13	28-29
Annual Inc.	01-04-2013	15550.00	3200.00	18750.00	16120.00	3200.00	19320.00		570.00	80%	456.00	3078.00	1-4-13 to 30-6-13	28-29
DA	01-07-2013	15550.00	3200.00	18750.00	16120.00	3200.00	19320.00		570.00	90%	513.00	6498.00	1-7-13 to 31-12-13	28-29
DA	01-01-2014	15550.00	3200.00	18750.00	16120.00	3200.00	19320.00		570.00	100%	570.00	3420.00	1-1-14 to 31-3-14	28-29
Annual Inc.	01-04-2014	16120.00	3200.00	19320.00	16700.00	3200.00	19900.00		580.00	100%	580.00	3480.00	1-4-14 to 30-6-14	28-29
DA	01-07-2014	16120.00	3200.00	19320.00	16700.00	3200.00	19900.00		580.00	107%	621.00	7206.00	1-7-14 to 31-12-14	28-29
DA	01-01-2015	16120.00	3800.00	19920.00	16700.00	3800.00	20500.00		580.00	113%	655.00	3705.00	1-1-15 to 31-3-15	28-29
Annual Inc.	01-04-2015	17300.00	3800.00	21100.00	17920.00	3800.00	21720.00		620.00	113%	701.00	3963.00	1-4-15 to 30-6-15	28-29
DA	01-07-2015	17300.00	3800.00	**21100.00**	17920.00	3800.00	**21720.00**		620.00	119%	738.00	8148.00	1-7-15 to 31-12-15	28-29
Pay as on	**31-12-2015**	17300.00	3800.00	**21100.00**			**SB, P-41**							
Pay Revision 03-01-2022 w.e.f. 1-1-2016												**58750.35**		
Pay as on	**31-12-2015**	21100.00	**Note:- As per ACPS 4-9-2014, Notification No. Fin(PR) B (7)-59/2010 Dated 09-08-2012 the Re-Pay fixation was notionally from 27-08-2009 and financial benefits from 09-08-2012, Hence excess payment of salary since 27-08-2009 to 09-08-2012 have been taken of the excess fixation of salary prior to the 27-08-2009.**											
Factor 2.59	**259%**	54649.00												
	Total	**54649.00**												
Pay as per pay structure as on 01-01-2016		**55000.00**	**Pay level & Cell**	**Pay Due**	**Pay Fixed**	**Excess payment of BP**		**Service Book Page**	**DA**		**Total Excess Payment**	**Period**	**Remarks**	
Pay as on		01-01-2016	Level 11 Cell 13	55000.00	56700.00	1700.00		SB, P 40-41					**Notional**	
Annual Incre.		01-04-2016	Level 11 Cell 14	56700.00	58400.00	1700.00		SB, P 40-41					**Notional**	
Annual Incre.		01-04-2017	Level 11 Cell 15	58400.00	60200.00	1800.00		SB, P 40-41					**Notional**	
Annual Incre.		01-04-2018	Level 11 Cell 16	60200.00	62000.00	1800.00		SB, P 40-41					**Notional**	
Annual Incre.		01-04-2019	Level 11 Cell 17	62000.00	63900.00	1900.00		SB, P 40-41					**Notional**	
Annual Incre.		01-04-2020	Level 11 Cell 18	63900.00	65800.00	1900.00		SB, P 40-41					**Notional**	
Annual Incre.		01-04-2021	Level 11 Cell 19	63900.00	67800.00	3900.00		SB, P 40-41					**Notional**	
Pay Revision Financially		01-01-2022	Level 11 Cell 20	65800.00	67800.00	2000.00		SB P-42-43	34%	680.00	8040.00	1-1-22 to 31-3-22	**Financial**	
Annual Incre.		01-04-2022	Level 11 Cell 21	67800.00	69800.00	2000.00		SB P-42-43	34%	680.00	32160.00	1-4-22 to 31-3-23	**Financial**	
Annual Incre.		01-04-2023	Level 11 Cell 22	69800.00	71900.00	2100.00		SB P-42-43	34%	714.00	2814.00	1-4-23 to 30-4-23	**Financial**	
Total excess payment under pay revision due to wrong pay fixation											**43014.00**			
G/Total of excess payment due to wrong pay fixation											**101764.35**			

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट : 10, पैरा संख्या : 10.2 में संदर्भित

Statement of excess payment of Salary of Sh. Pawan Kumar, Sr. Asstt.					
HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2					
Sh. Pawan Kumar Sharma, Clerk	Bate of Birth :08-04-1965		Date of Joining: 1-4-1988	Date of Ret: 30-04-2023	
Detail of excess payment of Leave Encashment			Detail of excess payment of Leave Encashment		
Particular	Salary/ Amount	Amount	Particular	Salary/ Amount	Amount
Last Pay Dran as per Service Book Page-42-43	Basic Pay	71900.00	Last Pay Drawn as per Service Book Page-42-43	Basic Pay	71900.00
DA	31%	22289.00	DA	31%	22289.00
Total Salary for Leave Encashment		94189.00	Total Salary for Leave Encashment		94189.00
Leave Encashment Paid	94189x300/30	941890.00	Gratuity Paid	94189x66/4	1554119.00
			Length of Service 35 years 9 months		
Last Pay Due as per Audit (Due to undue benefits of ACPS under 4-9-2014 was granted on 27-08-2009 and 01-04-2010).	Basic Pay	69800.00	Last Pay Due as per Audit (Due to undue benefits of ACPS under 4-9-2014 was granted on 27-08-2009 and 01-04-2010).	Basic Pay	69800.00
DA	34%	23732.00	DA	34%	23732.00
Total Salary for Leave Encashment		93532.00	Total Salary for Leave Encashment		93532.00
Leave Encashment Due	91438x300/30	935320.00	Gratuity Due	91438x66/4	1543278.00
(A) Excess Amount Paid		6570.00	(B) Excess Amount Paid		10841.00
Total amount of excess payment of leave encashment and gratuity (A+B)					17411.00

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट: 11, पैरा संख्या: 10.3 में संदर्भित

Statement of excess payment of Salary of Sh. Pawan Kumar, Sr. Asstt. (Retd.)			
HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2			
Sh. Pawan Kumar Sharma, Clerk	Bate of Birth :08-04-1965		
Date of Joining: 1-4-1988	Date of Ret: 30-04-2023		
Detail of excess payment of salary on Re-employment	Date of Re-employment: 08-08-2023 (A/N)		
Particular		Amount	Remarks
Last Pay Drawn as per Service Book Page-42-43	Last pay drawan	71900.00	Dwaral of pay only as per the Para 4 (a) of letter No. Fin (C)B(7),10/84 dated 01-12-1988.
Salary Drawn for 8-2023, Pay Bill Reg. P-46	Salary for 23 days	57528.00	
Salary for 9-23 to 11-23, Pay Bill Reg. P-46 to 47	71900x3	215700.00	
Salary for 12-2023 to 05-2025, Pay Bill Reg. P-47 to 52	40% BP	517680.00	Draw fixed amount of emoluments not exceeding 40% of the basic pay last drawn as per letter No. Fin (C)-B(7)-13/2009 dated 10-11-2023
Total salary paid in lieu of Re-employment		862808.00	
Last Pay to be drawn as per Audit	Last pay to be drawn	69800.00	
Salary for 8-2023	Salary for 23 days	51787.00	
Salary for 9-23 to 10-23	69800x2	139600.00	
Salary for 11-2023 to 05-2025	40% BP	530480.00	
Total salary due in lieu of Re-employment		791667.00	
Excess payment of salary from 09-08-2023 to 31-05-2025		71141.00	

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

परिशिष्ट: 12, पैरा संख्या: 10.4 में संदर्भित

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2

Statement of PF share of Council of Sh Pawan Kumar Sharma (Sr. Asstt.) Retd. On 30-04-2023

Detail of Council Share to be deducted

Period	(Basic Pay)	PPF due 8%	Months	Amount of PF to be deducted
Apr-88	1000.00	80.00	12	960.00
Apr-89	1035.00	83.00	12	996.00
Apr-90	1070.00	86.00	12	1032.00
Apr-91	1105.00	88.00	12	1056.00
Apr-92	1140.00	91.00	12	1092.00
Apr-93	1175.00	94.00	12	1128.00
Apr-94	1215.00	97.00	12	1164.00
Apr-95	1255.00	100.00	12	1200.00
Jan-96	3900.00	312.00	3	936.00
Apr-96	4400.00	352.00	9	3168.00
Apr-97	4550.00	364.00	12	4368.00
Apr-98	4700.00	376.00	12	4512.00
Apr-99	4850.00	388.00	12	4656.00
Apr-00	5000.00	400.00	12	4800.00
Apr-01	5160.00	413.00	12	4956.00
Apr-02	5320.00	426.00	12	5112.00
Apr-03	5480.00	438.00	12	5256.00
Apr-04	5800.00	464.00	12	5568.00
Apr-05	6000.00	480.00	12	5760.00
Jan-06	13960.00	1117.00	3	3351.00
Apr-06	14380.00	1150.00	9	10350.00
Apr-07	14820.00	1186.00	12	14232.00
Apr-08	15270.00	1222.00	12	14664.00
Apr-09	15730.00	1258.00	5	6290.00
Sep-09	16610.00	1329.00	7	9303.00
Apr-10	17110.00	1369.00	12	16428.00
Apr-11	17630.00	1410.00	12	16920.00
01-04-12 to 28-2-13	18160.00	1453.00	11	15983.00
Total of Council Share to be deducted				**165241.00**

Detail of Council Share Deducted

Period	Reg. Page No.	PPF Deducted	Month	Total Deduction made
1/7/1999 to 31/7/1999	2	96	1	96
1-8-1999 to 30-9-1999	3-4	389	2	778
1-10-1999 to 31-3-2000	6-13	444	6	2664
Arrear 1-4-1991 to 30-9-1999	11	4494	1	4494
1-4-2000 to 31-7-2000	14-17	457	4	1828
1-8-2000 to 31-3-2001	18-26	600	8	4800
Arrear 1-1-1996 to 1-1-1998	18	9133	1	9133
1-4-2001 to 31-10-2001	27-33	600	7	4200
1-11-2001 to 31-1-2002	34-36	755	3	2265
Arrear 1-4/88 to 31-1/2002	38	6801	1	6801
1-2-2002 to 31-3-2002	39-40	800	2	1600
1-4-2002 to 31-3-2003	41-53	800	12	9600
1-4-2003 to 31-3-2004	54-65	800	12	9600
1-4-2004 to 31-3-2005	66-77	800	12	9600
1-4-2005 to 31-12-2005	78-87	800	9	7200
1-1-2006 to 31-3-2006	88-89, 1	800	3	2400
Arrear 2-3-2002 to 31-03-2006	2	8721	1	8721
1-4-2006 to 30-6-2006	3-5	1228	3	3684
1-7-2006 to 31-8-2006	6-7	1258	2	2516
1-9-2006 to 31-3-2007	10-16	1393	7	9751
1-4-2007 to 31-5-2007	21-22	1440	2	2880
1-6-2007 to 30-6-2007	23	1507	1	1507
1-7-2007 to 31-10-2007	25-28	1555	4	6220
1-11-2007 to 31-12-2007	30-31	1624	2	3248
1-1-2008 to 31-1-2008	32	1600	1	1600
1-2-2008 to 29-2-2008	33	1624	1	1624
1-11-2006 to 1-2-2008	34	10444	1	10444
1-3-2008 to 31-3-2008	35	1700	1	1700
1-4-2008 to 31-8-2008	36-40	1759	5	8795
1-9-2008 to 30-9-2008	41	1834	1	1834
1-10-2008 to 30-11-2008	42-43	1921	2	3842
1-12-2008 to 31-1-2009	45-46	2013	2	4026
1-2-2009 to 31-3-2009	47-48	2195	2	4390
1-4-2009 to 31-7-2009	49-54	2262	4	9048
1-8-2009 to 30-09-2009	55-56	2262	2	4524
1-10-2009 to 31-03-2010	60-65	2431	6	14586
1-4-2010 to 30-4-2010	67	2504	1	2504
1-5-2010 to 31-5-2010	68	2500	1	2500
1-6-2010 to 31-7-2010	69-70	2504	2	5008
1-8-2010 to 31-1-2011	72-77	2662	6	15972
1-2-2011 to 31-3-2011	79-81	2859	2	5718
1-4-2011 to 29-02-2012	82-94	3068	11	33748
1-3-2012 to 31-3-2012	95	3210	1	3210
1-4-2012 to 31-07-2012	97-100	3307	4	13228

Note:- As per the proceeding of the meeting held on 27th february 2013 at 11:30 AM under the chairmanship of the Director Ayurveda Regarding amendments in the Himachal Pradesh Honoeopathic Practitioners (General) Rules 1983 Sub Rule 32 and amendment in provident fund for the employees of the council Appendix "C" Sub Rule-2. " Provident fund for the employees of the Council Restricted as per the rates of EPF by the Central/State Govt."

Note: Provident Fund to be deducted as Council Share "As per Sub Rule 2 of Appendix-C of Pvovident Fund Rule

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

45

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

and Rule 37 of Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioner (General) Rules 1983, Council to subscribe at the rate of 0.08 paisa in the rupee on his salary to a provident fund of which a conjoint account will be opened at the Post Office Saving Bank in the official name of the Chairman of the Council".

1-8-2012 to 30-09-2012	101-102	3453	2	6906
1-10-2012 to 28-02-2013	103-107	3723	5	18615
Total of Council Share Deducted				**289408**

	165241.00
Total PPF Deducted as Council Share as per PF Register Page No. 2 to 89 and 1 to 107.	289408.00
Excess Council Share Deducted and deposited at PF account up to 28-02-2013	**124167.00**
Less: Amount of PF (Council and Employee Share) deduced from Salary vide cheque No. 294655 dated 01-06-2022 dishouhored and not credited to PF account till 31-03-2025, Cash Book Page No. 24 and Salary Reg. P-31	21946
Total to be recovered as excess Share of Council	**102221.00**

As per Himachal Pradesh Honoeopathic Practitioners (General) Rules 1983, and Note given below the rule rule 16 of PF rule "For the purpose of this rule pay means the basis pay and does not include allowances of any kind".

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

पैरा सिस्ट: 13, पैरा संख्या: 10.6 में संदर्भित

HP State Council of Homoeopathic System of Medicine Shimla-2			
Detail of payment of salary on Re-employment of staff and outsourcing staff	**Date of Re-employment: 08-08-2023 (A/N)**		
Particular		**Amount**	**Remarks**
Sh. Pawan Kumar Sharma, Retd.			
Last Pay Drawn as per Service Book Page-42-43	**Last pay drawan**	71900.00	As per Section 15 (5) of the Homoeopathic Practitioners Act, 1979 provided that " The council may appoint such other officers and servants as may be necessary for carrying out the purposes of this Act: Provided that the number and designation of such officers and servants and their salaries and allowances shall be subject to the previous approval of the Government.
Salary Drawn for 8-2023, Pay Bill Reg. P-46	Salary for 23 days	57528.00	
Salary for 09-2023 to 11-2023, Pay Bill Reg. P-46 to 47	71900x3	215700.00	
Salary for 12-2023 to 05-2025, Pay Bill Reg. P-47 to 52	40% BP	517680.00	
Total salary paid in lieu of Re-employment		**862808.00**	
Smt. Neelam Sharma, Outsourced (DEO), Date of Joining: May 02-05-2022 (F/N)	Pay Bill Reg. Page		
Pay for 05-2022	31	16481.00	
Pay for 06-2022 to 12-2022 (17030x7)	32 -40	119210.00	
Pay for 01-2023	40	17112.00	
Pay for 02-2023 to 04-2023 (17030x3)	41-43	51090.00	
Pay for 05-2023	45	19439.00	
Pay for 06-2023 to 07-2023 (18321x2)	45	36642.00	
Pay for 08-2023 to 02-2024 (18234x7)	46 to 48	127638.00	
Pay for 03-2024 (18321x1)	49	18321.00	
Pay for 04-2024 to 05-2025 (19532x14)	49 - 52	273448.00	
Total payment of salry		**679381.00**	
Total payment of salary on Re-employment of staff and outsourcing staff		**1542189.00**	

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

पैरा शीर्षक : 14, (Annexure-A) पैरा संख्या : 11.3 में संदर्भित

Renewal status of registered Qualified Homoeopathic Practitioners in Part-A (Annexure-"A")				
Sr. No.	Sr. No. As per Register	Registration No	Registration valid upto the year	Remarks
Not Renewed since 1986 to 2000				
1	8	18-A	1987	Not renewed since 25 to 39 years
2	10	21-A	1986	
3	13	27-A	1990	
4	14	32-A	1987	
5	15	34-A	1987	
6	16	35-A	1987	
7	18	39-A	1987	
8	20	45-A	1987	
9	21	47-A	1987	
10	28	64-A	1988	
11	29	67-A	1988	
12	40	93-A	1990	
13	42	99-A	1998	
14	43	101-A	1998	

Not Renewed since 2001 to 2010				
1	3	9-A	2008	Not renewed since 15 to 25 years
2	25	60-A	2004	
3	27	63-A	2004	
4	36	85-A	2010	
5	23	53-A	2009	
6	44	105-A	2008	
7	47	109-A	2001	
8	48	110-A	2001	
9	49	111-A	2001	
10	50	113-A	2000	
11	53	120-A	2002	
12	56	125-A	2003	
13	59	133-A	2004	
14	60	134-A	2004	
15	62	140-A	2004	
16	67	154-A	2006	
17	69	156-A	2006	
18	70	157-A	2006	
19	71	158-A	2006	
20	72	159-A	2006	
21	75	164-A	2007	
22	79	179-A	2008	
23	80	180-A	2008	
24	84	201-A	2010	
25	85	212-A	2010	
26	86	213-A	2010	
27	87	215-A	2010	
28	88	216-A	2010	
29	89	218-A	2009	
30	90	219-A	2009	
31	91	221-A	2010	
32	92	222-A	2010	
33	95	235-A	2010	
34	96	241-A	2010	
35	97	242-A	2010	
36	98	243-A	2010	
37	99	244-A	2010	

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

38	100	245-A	2010	
39	101	249-A	2010	
40	102	250-A	2010	

Not Renewed since 2011 to 2015				
1	5	11-A	2013	Not renewed since 10 to 15 years
2	19	41-A	2013	
3	22	51-A	2013	
4	33	76-A	2013	
5	34	80-A	2013	
6	35	81-A	2013	
7	38	89-A	2013	
8	39	92-A	2013	
9	41	95-A	2013	
10	45	106-A	2013	
11	46	107-A	2010	
12	51	117-A	2013	
13	52	118-A	2013	
14	58	129-A	2013	
15	61	138-A	2013	
16	64	143-A	2013	
17	68	155-A	2013	
18	73	160-A	2013	
19	76	171-A	2013	
20	81	190-A	2013	
21	94	233-A	2013	
22	103	256-A	2012	
23	104	260-A	2013	
24	109	275-A	2011	
25	110	276-A	2011	
26	111	280-A	2011	
27	112	282-A	2011	
28	114	286-A	2011	
29	115	288-A	2011	
30	118	293-A	2012	
31	121	305-A	2012	
32	125	338-A	2013	

Not Renewed since 2016 to 2020				
1	1	1-A	2017	
2	2	6-A	2017	
3	4	10-A	2020	
4	6	13-A	2017	
5	7	14-A	2017	
6	9	20-A	2020	
7	11	23-A	2020	
8	17	36-A	2020	
9	24	57-A	2020	
10	26	62-A	2020	
11	30	71-A	2017	
12	32	75-A	2017	
13	37	87-A	2020	
14	55	124-A	2017	
15	63	141-A	2017	
16	65	144-A	2020	
17	66	150-A	2020	
18	74	162-A	2020	
19	78	178-A	2020	
20	83	196-A	2020	
21	93	232-A	2020	
22	105	262-A	2017	

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

23	106	267-A	2017	Not renewed since 5 to 10 years
24	108	274-A	2020	
25	113	285-A	2017	
26	116	290-A	2017	
27	117	291-A	2020	
28	119	303-A	2020	
29	120	304-A	2017	
30	122	309-A	2017	
31	124	337-A	2020	
32	126	339-A	2020	
33	127	341-A	2017	
34	128	353-A	2020	
35	130	364-A	2017	
36	131	366-A	2017	
37	132	376-A	2017	
38	133	380-A	2018	
39	134	383-A	2019	
40	137	410-A	2016	
41	140	431-A	2020	
42	141	434-A	2019	
43	142	435-A	2019	
44	143	455-A	2017	
45	144	457-A	2020	
46	145	459-A	2020	
47	146	460-A	2020	
48	147	461-A	2020	
49	148	462-A	2020	
50	149	465-A	2020	
51	150	466-A	2020	
52	151	467-A	2020	
53	155	500-A	2018	
54	156	531-A	2019	
55	162	606-A	2020	

Not Renewed since 2021 to 2025				
1	12	26-A	2023	Not renewed since 2 to 5 years
2	31	72-A	2021	
3	54	121-A	2022	
4	57	128-A	2021	
5	77	174-A	2023	
6	82	191-A	2023	
7	107	269-A	2022	
8	123	327-A	2023	
9	129	362-A	2023	
10	135	395-A	2021	
11	136	396-A	2021	
12	138	428-A	2022	
13	139	430-A	2022	
14	152	483-A	2021	
15	153	485-A	2021	
16	154	487-A	2021	
17	157	568-A	2022	
18	158	583-A	2023	
19	159	602-A	2023	
20	160	604-A	2023	
21	161	605-A	2023	
22	163	614-A	2023	
23	164	618-A	2021	
24	165	623-A	2023	
25	166	626-A	2023	
26	167	652-A	2021	
27	168	671-A	2022	

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

28	169	675-A	2022
29	170	679-A	2022
30	171	684-A	2022
31	172	685-A	2022
32	173	687-A	2022
33	174	688-A	2023
34	175	697-A	2023
35	176	698-A	2023
36	177	702-A	2023

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

परिशिष्ट :14, Annexure—"B" पैरा संख्या: 11.5 में संदर्भित

Renewal status of registered Unqualified Homoeopathic Practitioners in part B (Who have not qualified degree/qualification Or as per Heridity practitioners) "Annexure-B"				
Sr. No.	Sr. No. As per Register	Registration No	Registration valid upto the year	Remarks
Not Renewed since 1986 to 2000				
1	1	2-B	1986	Not renewed since 25 to 39 years
2	15	27-b	1986	
3	17	32-B	1987	
4	36	91-B	1986	
5	37	92-B	1986	
6	38	97-B	1986	
7	46	114-b	1986	
8	49	119-b	1986	
9	74	175-b	1986	
10	80	190-b	1986	
11	87	203-b	1987	
12	92	213-b	1986	
13	100	229-b	1986	
14	118	267-B	1987	
15	136	306-B	1987	
16	141	315-b	1987	
17	145	321-B	1988	
18	151	331-B	1987	
19	152	332-B	1987	
20	153	333-B	1987	
21	154	334-B	1987	
22	164	348-B	1988	
23	169	356-B	1986	
24	170	357-B	1986	
25	171	360-B	1988	
26	173	363-B	1987	
27	176	367-B	1990	
28	177	368-B	1990	
29	181	373-B	1986	
30	190	391-B	1988	
31	198	409-B	1988	
32	199	410-B	1988	
33	202	414-B	1987	
34	203	415-B	1987	
35	204	416-B	1987	
36	205	418-B	1987	
37	211	428-B	1987	
38	229	468-B	1990	
39	230	470-B	1990	
40	231	471-B	1990	
41	234	477-B	1990	
42	239	490-B	1987	
43	240	492-B	1987	
44	242	497-B	1987	
45	243	499-B	1987	
46	244	500-B	1987	
47	248	512-B	1987	
48	249	513-B	1987	
49	250	515-B	1987	

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

50	251	516-B	1987	
51	252	519-B	1987	
52	256	528-B	1986	
53	257	529-B	1986	
54	258	530-B	1986	
55	259	531-B	1986	
56	260	532-B	1986	
57	261	536-B	1986	
58	262	535-B	1986	
59	264	539-B	1986	
60	265	340-B	1986	
61	266	541-B	1986	
62	273	552-B	1986	
63	277	560-B	1986	
64	278	561-B	1986	
65	279	562-B	1986	
66	283	568-B	1986	
67	284	569-B	1986	
68	313	631-B	1986	
69	314	632-B	1986	
70	315	633-B	1986	
71	366	707-B	1986	
72	367	708-B	1986	
73	371	719-B	1986	
74	408	773-B	1986	
75	409	775-B	1986	
76	525	962-B	1987	
77	526	963-B	1986	
78	547	997-B	1986	
79	548	998-B	1986	
80	549	999-B	1986	
81	550	1000-B	1986	
82	553	1003-B	1986	
83	554	1004-B	1990	
84	557	1011-B	1989	
85	558	1012-B	1986	
86	559	1013-B	1986	
87	564	1020-B	1986	

Not Renewed since 2001 to 2010				
1	156	337-B	2004	Not renewed since 15 to 25 years
2	180	372-B	2004	
3	2	4-B	2006	
4	7	12-B	2005	
5	12	24-b	2005	
6	40	103-B	2004	
7	18	34-B	2006	
8	22	46-B	2008	
9	25	61-B	2008	
10	29	71-B	2009	
11	33	80-B	2009	
12	4	8-B	2009	
13	20	42-B	2010	
14	13	25-b	2010	

Not Renewed since 2011 to 2015				
1	8	13-B	2012	
2	10	16-B	2012	
3	14	26-b	2011	

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

53

4	21	43-B	2012
5	23	50-B	2013
6	24	52-B	2015
7	26	62-B	2015
8	31	75-B	2014
9	41	104-B	2013
10	42	109-B	2013
11	43	110-B	2013
12	44	111-b	2013
13	52	132-B	2013
14	55	136-B	2013
15	56	137-B	2013
16	57	138=B	2013
17	59	149-B	2013
18	60	150-B	2013
19	61	151-B	2013
20	62	152-B	2013
21	63	153-B	2013
22	67	158-B	2013
23	69	162-b	2013
24	70	163-b	2013
25	71	167-b	2013
26	76	182-b	2013
27	77	183-b	2013
28	78	184-b	2013
29	81	191-b	2013
30	84	195-b	2013
31	85	198-b	2013
32	88	204-b	2013
33	89	205-b	2013
34	94	216-b	2013
35	95	218-b	2013
36	96	219-b	2013
37	99	227-b	2013
38	102	233-b	2013
39	103	234-b	2013
40	106	238-b	2013
41	107	239-b	2013
42	108	240-B	2013
43	110	245-B	2013
44	114	261-b	2013
45	115	262-b	2013
46	116	263-b	2013
47	117	264-B	2013
48	122	277-B	2013
49	123	279-B	2013
50	125	282-B	2013
51	126	283-B	2013
52	127	287-B	2013
53	128	288-B	2013
54	129	290-B	2013
55	131	294-B	2013
56	132	295-B	2013
57	133	296-B	2013
58	134	299-B	2013
59	138	309-B	2013
60	140	313-B	2013
61	142	317-B	2013
62	146	322-B	2013
63	150	329-B	2013

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

54

64	157	338-B	2013
65	158	339-B	2013
66	161	342-B	2013
67	162	343-B	2013
68	163	345-B	2013
69	166	350-B	2013
70	167	353-B	2013
71	178	370-B	2013
72	179	371-B	2013
73	182	376-B	2013
74	183	378-B	2013
75	184	379-B	2013
76	185	380-B	2013
77	186	382-B	2012
78	187	386-B	2013
79	189	389-B	2013
80	191	392-B	2013
81	192	396-B	2013
82	193	398-B	2013
83	194	400-B	2013
84	195	402-B	2013
85	196	404-B	2013
86	206	419-B	2013
87	207	422-B	2013
88	208	423-B	2013
89	209	424-B	2013
90	210	425-B	2013
91	212	429-B	2013
92	213	430-B	2013
93	214	432-B	2013
94	215	433-B	2013
95	218	443-B	2013
96	219	447-B	2013
97	221	450-B	2013
98	223	453-B	2013
99	224	454-B	2013
100	227	463-B	2013
101	228	466-B	2013
102	235	480-B	2013
103	236	481-B	2013
104	237	483-B	2013
105	238	487-B	2013
106	245	503-B	2013
107	255	524-B	2013
108	263	538-B	2013
109	267	544-B	2017
110	269	546-B	2013
111	270	548-B	2013
112	272	550-B	2013
113	276	557-B	2013
114	280	564-B	2013
115	281	565-B	2013
116	285	573-B	2013
117	286	577-B	2013
118	287	580-B	2013
119	288	581-B	2013
120	289	589-B	2013
121	290	593-B	2013
122	291	596-B	2013

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

123	292	597-B	2013	
124	293	598-B	2013	
125	294	599-B	2013	
126	295	601-B	2013	
127	296	602-B	2013	
128	297	604-B	2013	
129	298	610-B	2013	
130	299	611-B	2013	
131	300	613-B	2013	
132	301	615-B	2013	
133	302	616-B	2013	
134	303	617-B	2013	
135	305	620-B	2013	
136	307	624-B	2013	
137	308	625-B	2013	
138	310	627-B	2013	
139	311	628-B	2013	
140	317	639-B	2013	
141	318	641-B	2013	
142	319	642-B	2013	
143	321	645-B	2013	
144	322	646-B	2013	
145	324	651-B	2013	
146	325	652-B	2013	
147	326	653-B	2013	
148	327	654-B	2013	
149	328	656-B	2013	
150	329	660-B	2013	
151	331	665-B	2013	
152	332	666-B	2013	
153	334	668-B	2013	
154	335	669-B	2013	
155	336	670-B	2013	
156	337	671-B	2013	
157	338	672-B	2013	
158	339	673-B	2013	
159	340	674-B	2013	
160	341	676-B	2013	
161	342	677-B	2013	
162	343	678-B	2013	
163	344	679-B	2013	Not renewed since 10 to 15 years
164	345	681-B	2013	
165	346	682-B	2013	
166	347	683-B	2013	
167	349	686-B	2013	
168	352	689-B	2013	
169	353	690-B	2013	
170	354	692-B	2013	
171	355	693-B	2013	
172	356	694-B	2013	
173	358	696-B	2013	
174	359	697-B	2013	
175	360	698-B	2013	
176	361	699-B	2013	
177	362	700-B	2013	
178	363	701-B	2013	
179	368	710-B	2013	
180	369	714-B	2013	
181	373	721-B	2013	

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

182	375	723-B	2013
183	376	724-B	2013
184	377	725-B	2013
185	378	726-B	2013
186	379	727-B	2013
187	380	728-B	2013
188	381	729-B	2013
189	382	730-B	2013
190	384	732-B	2013
191	386	735-B	2013
192	387	736-B	2013
193	388	737-B	2013
194	389	738-B	2013
195	391	742-B	2013
196	394	752-B	2013
197	395	753-B	2013
198	397	757-B	2013
199	398	758-B	2013
200	399	761-B	2013
201	400	762-B	2013
202	401	763-B	2013
203	402	764-B	2013
204	403	765-B	2013
205	404	766-B	2013
206	405	767-B	2013
207	406	768-B	2013
208	407	770-B	2013
209	410	780-B	2013
210	411	782-B	2013
211	412	784-B	2013
212	413	786-B	2013
213	414	787-B	2013
214	415	788-B	2013
215	417	793-B	2013
216	418	794-B	2013
217	419	797-B	2013
218	420	798-B	2013
219	421	799-B	2013
220	422	800-B	2013
221	423	803-B	2013
222	424	804-B	2013
223	425	806-B	2013
224	426	808-B	2013
225	427	809-B	2013
226	428	810-B	2013
227	429	811-B	2013
228	430	812-B	2013
229	433	817-B	2013
230	434	819-B	2013
231	435	820-B	2013
232	436	823-B	2013
233	439	830-B	2013
234	441	835-B	2013
235	443	841-B	2013
236	444	844-B	2013
237	445	845-B	2013
238	446	847-B	2013
239	448	850-B	2013
240	449	851-B	2013

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

241	450	852-B	2013
242	451	853-B	2013
243	452	854-B	2013
244	453	855-B	2013
245	454	856-B	2013
246	455	858-B	2013
247	456	859-B	2013
248	457	860-B	2013
249	458	861-B	2013
250	459	862-B	2013
251	461	864-B	2013
252	463	866-B	2013
253	464	869-B	2013
254	465	870-B	2013
255	466	871-B	2013
256	467	872-B	2013
257	469	874-B	2013
258	470	875-B	2013
259	471	876-B	2013
260	472	879-B	2013
261	473	880-B	2013
262	474	881-B	2013
263	475	884-B	2013
264	478	889-B	2013
265	479	890-B	2013
266	480	891-B	2013
267	481	892-B	2013
268	482	893-B	2013
269	483	894-B	2013
270	484	895-B	2013
271	485	899-B	2013
272	486	900-B	2013
273	487	903-B	2013
274	488	904-B	2013
275	489	906-B	2013
276	490	907-B	2013
277	491	908-B	2013
278	492	912-B	2013
279	493	913-B	2013
280	494	915-B	2013
281	495	916-B	2013
282	496	917-B	2013
283	498	920-B	2013
284	499	921-B	2013
285	500	923-B	2013
286	501	924-B	2013
287	502	925-B	2013
288	503	926-B	2013
289	504	927-B	2013
290	505	929-B	2013
291	506	930-B	2013
292	507	931-B	2013
293	508	937-B	2013
294	509	938-B	2013
295	510	939-B	2013
296	512	942-B	2013
297	513	943-B	2013
298	514	944-B	2013
299	515	945-B	2013

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

300	516	947-B	2013
301	517	948-B	2013
302	520	955-B	2013
303	522	957-B	2013
304	523	958-B	2013
305	528	965-B	2013
306	529	968-B	2013
307	530	971-B	2013
308	532	973-B	2013
309	534	975-B	2013
310	535	980-B	2013
311	536	981-B	2013
312	537	982-B	2013
313	538	985-B	2013
314	539	986-B	2013
315	540	987-B	2013
316	541	988-B	2013
317	542	989-B	2013
318	544	991-B	2013
319	546	996-B	2013
320	551	1001-B	2013
321	552	1002-B	2013
322	556	1008-B	2013
323	561	1015-B	2013
324	562	1016-B	2013
325	563	1017-B	2013
326	6	11-B	2014

Not Renewed since 2016 to 2020			
1	160	341-B	2017
2	50	126-B	2017
3	3	7-B	2017
4	11	21-B	2017
5	16	31-B	2017
6	19	39-B	2020
7	27	69-B	2018
8	28	70=B	2019
9	30	73-B	2018
10	32	79-B	2020
11	34	81-B	2017
12	35	89-B	2017
13	39	98-B	2020
14	47	115-b	2020
15	53	133-B	2016
16	58	139-B	2020
17	66	157-B	2017
18	68	161-B	2020
19	72	172-b	2020
20	73	174-b	2020
21	75	180-b	2020
22	79	187-b	2017
23	82	192-b	2017
24	86	200-b	2020
25	90	206-b	2017
26	91	209-b	2020
27	93	215-b	2020
28	98	225-b	2020
29	101	231-B	2020
30	104	235-B	2020
31	109	243-B	2017

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

32	113	260-b	2020
33	119	268-B	2020
34	121	273-B	2017
35	124	280-B	2020
36	130	292-B	2020
37	135	304-B	2020
38	137	307-B	2020
39	139	310-B	2020
40	143	319-B	2017
41	144	320-B	2020
42	148	325-B	2017
43	149	326-B	2017
44	155	336-B	2020
45	159	340-B	2020
46	165	349-B	2017
47	168	354-B	2017
48	174	364-B	2020
49	175	366-B	2020
50	188	388-B	2017
51	197	407-B	2020
52	200	412-B	2020
53	201	413-B	2020
54	220	449-B	2017
55	222	452-B	2017
56	225	460-B	2020
57	226	461-B	2020
58	232	473-B	2017
59	233	474-B	2017
60	241	493-B	2017
61	246	508-B	2020
62	247	510-B	2020
63	253	521-B	2020
64	254	522-B	2017
65	268	545-B	2020
66	271	549-B	2020
67	274	554-B	2020
68	275	556-B	2017
69	282	566-B	2017
70	306	623-B	2020
71	309	626-B	2020
72	312	630-B	2017
73	316	637-B	2020
74	320	643-B	2020
75	323	647-B	2020
76	330	661-B	2017
77	333	667-B	2020
78	348	685-B	2017
79	351	688-B	2020
80	357	695-B	2020
81	364	702-B	2017
82	374	722-B	2017
83	383	731-B	2017
84	385	734-B	2020
85	390	739-B	2020
86	392	747-B	2020
87	393	748-B	2017
88	396	754-B	2020
89	416	790-B	2017
90	431	815-B	2020
91	432	816-B	2017

Not renewed since 5 to 10 years

Registrar
State Council of Homoeopathic System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

92	437	826-B	2020	
93	438	827-B	2020	
94	440	832-B	2020	
95	442	840-B	2017	
96	447	849-B	2020	
97	460	863-B	2017	
98	462	865-B	2017	
99	468	873-B	2017	
100	476	886-B	2017	
101	477	888-B	2020	
102	497	919-B	2020	
103	511	941-B	2017	
104	518	951-B	2020	
105	519	953-B	2017	
106	521	956-B	2017	
107	524	960-B	2020	
108	527	964-B	2017	
109	533	974-B	2017	
110	543	990-B	2020	
111	545	992-B	2020	
112	560	1014-B	2020	

Not Renewed since 2021 to 2025				
1	5	9-B	2022	Not renewed since 2 to 5 years
2	9	14-B	2023	
3	45	113-b	2023	
4	48	118-b	2023	
5	54	135-B	2022	
6	64	154-B	2023	
7	65	156-B	2021	
8	83	194-b	2023	
9	97	224-b	2022	
10	105	236-B	2023	
11	111	249-B	2022	
12	112	251-b	2023	
13	120	272-B	2021	
14	147	324-B	2023	
15	172	362-B	2023	
16	216	436-B	2023	
17	217	441-B	2021	
18	304	618-B	2022	
19	350	687-B	2022	
20	365	706-B	2022	
21	370	716-B	2022	
22	372	720-B	2023	
23	531	972-B	2022	
24	555	1007-B	2023	

Registrar
State Council of Homoeopathic
System of Medicine, H.P.
Shimla-171002

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)